



31.03.2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित

कॉफी बोर्ड सामान्य निधि

का वित्तीय विवरण

सामान्य निधि लेखा विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	i - iv
2	तुलन पत्र	1 - 2
3	आय एवं व्यय लेखा	3 - 4
4	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ भवनों में प्रवर्धन/ प्रगतिशील पूँजीगत कार्य संबंधी विवरण	5 - 17
5	मीयादी जमा संबंधी विवरण	18
6	आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियाँ	19 - 24
7	समेकित प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	25 - 28
8	समेकित प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा - चिह्नित निधियाँ	29 - 34
9	सार्थक लेखांकन नीतियाँ	35 - 37
10	आनुषंगिक देयताएँ सहित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	38 - 52

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलतः अंग्रेज़ी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इस प्रतिवेदन में कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेज़ी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कॉफी बोर्ड, बंगलूरु की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कॉफी अधिनियम, 1942 (अधिनियम सं. VII) की धारा 45 के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत हमने 31 मार्च 2022 को यथास्थिति, कॉफी बोर्ड, बंगलूरु के सामान्य निधि और पूल निधि के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं अदायगी लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व कॉफी बोर्ड के प्रबंधन पर है। लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड इत्यादि से संबंधित केवल लेखांकन विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलू इत्यादि के बारे में वित्तीय लेन-देन पर अगर कोई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हो तो, उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के द्वारा अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इस मानक द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा करें जिससे हमें इस बात पर उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अपकथनों से सर्वथा मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में निहित राशि एवं प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले प्रमाणों की परीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए सार्थक प्राक्कलनों के साथ-साथ, वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा, हमारे विचार कायुक्ति संगत आधार पर बनी है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

- हम अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
- तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व अदायगी लेखा से संबंधित इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- लेखा बही तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षण से, हमने विचार किया है कि कॉफी अधिनियम 1942 (अधिनियम सं. VII) की धारा 45 के अधीन यथापेक्षित इन लेखा बहियों का कॉफी बोर्ड द्वारा अब तक समुचित अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
- हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि:

I. सामान्य निधि

क) लेखाओं का परिशोधन

इस कार्यालय द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्रभावी करने के लिए कॉफी बोर्ड के लेखाओं का परिशोधन किए गए थे। लेखाओं के परिशोधन से सामान्य निधि पर पड़े प्रभाव यह था कि (i) अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) में ₹0.05 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और मूल्यहास में ₹0.05 करोड़ रुपयों की कमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप, “ पर व्यय आय की अधिकता ” में ₹0.05 करोड़ रुपयों की वृद्धि और कॉर्पस निधि (अनुसूची 1) में ₹0.05 करोड़ रुपयों की परिणामी वृद्धि पाई गई है।



ख) लेखाओं पर टिप्पणियां

I. सामान्य निधि तुलन पत्र

परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) - ₹93,24,78,810/-

ख.1.(क) उपरोक्त राशि में से ₹35.66 करोड़ रुपयों का आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष शामिल हैं। अनुसूची 25 के नोट संख्या 10 में बताए गए अनुसार, आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की हानि को वास्तविक आधार पर लेखांकन किया गया है। तथापि, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान इन वृक्षों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

2020-21 के दौरान प्रशासन ने 2021-22 के वार्षिक लेखा में इन वृक्षों के मूल्य अद्यतन करने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान, यह सूचित किया गया कि इस कार्य एक समिति को सौंपा गया है तथा यह प्रगतिशील है। संशोधित मूल्य की गणना, समिति की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में इन वृक्षों का मूल्यांकन न करने के कारण, 31 मार्च 2022 को यथास्थिति तुलन पत्र में दर्शाए आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों के मूल्य की यथार्थता पर लेखापरीक्षक अपनी टिप्पणी न दे सकें।

(ख) 2020-21 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की रिपोर्टिंग में निरंतरता बनाए रखने के लिए हानि का मूल्यांकन तथा आकलन के बारे में लेखांकन नीति अपनाने का सुझाव दिया। हालांकि, बोर्ड द्वारा ऐसे वृक्षों की हानि के मूल्यांकन तथा आकलन के बारे में समुचित लेखांकन नीति नहीं अपनाई गई है।

आय व व्यय आय- ₹1,76,39,27,876/-

ख.2 बोर्ड ने लेखांकन मानक (एएस)-12 के अनुच्छेद-14 में “अनुदान एवं समरूपी लेखा प्रारूप के लिए लेखांकन के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित आस्थित आय” के लेखांकन के स्थान पर परिसंपत्तियों का लेखा के नामे डालने तथा कॉर्पस निधि परजमा करने की लेखांकन पद्धति अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप, 3.67 करोड़ रुपयों का आय की न्यून्योक्ति विवरण और व्यय पर आय की अधिकता की न्यून्योक्ति विवरण दर्शाया गया है। साथ ही, 93.19 करोड़ रुपयों का आस्थित आय का न्यून्योक्ति विवरण एवं कॉर्पस/पूंजीगत निधि में अत्युक्ति विवरण भी दर्शाया गया है। इसके अलावा, सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास पद्धति का भी गैर-अनुपालन हुआ है, जिसे लेखांकन मानक(एएस)-12 के अनुच्छेद-14 में “अनुदान एवं समरूपी लेखा प्रारूप के लिए लेखांकन” अनुसूची 8 की टिप्पणियों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के कॉफी बोर्ड के लेखाओं पर भी इसके बारे में टिप्पणी की गई थी। तथापि, बोर्ड ने इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ₹164.88 करोड़ रुपए तथा पिछले वर्ष से अग्रनीत ₹7.11 करोड़ रुपए की राशि में से, बोर्ड ने 0.82 करोड़ रुपए भारत सरकार को वापस किया तथा 6.61 करोड़ रुपए की राशि अव्ययित शेष के रूप में रखकर 164.56 करोड़ रुपए की राशि उपयोग किया जा सका।

II. सामान्य

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 के अपेक्षिताओं के विपरीत, बोर्ड ने बीमांकक से दिए गए सेवानिवृत्त लाभ का मूल्यांकन नहीं किया, जिससे पेंशन निधि में जमा किए गए पर्याप्त रकम और “कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ” शीर्ष के अधीन दर्शाए गए व्यय को वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में बीमांकक नहीं किया जा सका।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21के कॉफ़ी बोर्ड के लेखाओं पर इसके बारे में टिप्पणी भी की गई थी। तथापि, बोर्ड ने इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

III. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न किए गए अपूर्ण लेखाओं के बारे में उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई लेने हेतु अध्यक्ष, कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु को पृथक प्रबंधन पत्र जारी किया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व अदायगी लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(vi) हमारी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों एवं लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण तथा उपरोक्त सार्थक विषय और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध में उल्लेखित अन्य विषय, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक असली एवं सही चित्रण देता है:

- क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2022को यथास्थिति, कॉफ़ी बोर्ड के सामान्य निधि एवं पूल निधि के मामलों का तुलन पत्र से संबंध रखते हैं; तथा
- ख) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष की सामान्य निधि के आय व व्यय लेखा के अधिशेष से संबंध रखते हैं।
- ग) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष की पूल निधि के आय व व्यय लेखा के अधिशेष से संबंध रखते हैं।

कृते / की ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(एम.एस. सुब्रमण्यम)

महा निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 नवंबर 2022



परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र संगठन के विस्तार के अनुसार, पर्याप्त या अनुरूप नहीं था। वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य कार्यालय के 11 अनुभागों में से 4 अनुभाग तथा 90 फील्ड एकाइयों में से 2 फील्ड एकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

जी.एफ.आर 2017 {नियम 211 (ii) (क)} के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को फॉर्म जी.एफ.आर - 22 में सरकारी अनुदान में से पूर्णतः या मुख्यतः अर्जित परिसंपत्तियों का रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना चाहिए और तत्संबंधित वित्तीय वर्ष के जून अंत तक, वार्षिक रूप से सरकार को रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। उक्त प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिसंपत्तियों का रजिस्टर सत्यापित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कॉफी बोर्ड द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

उपरोक्त क्रमांक 1 तथा 2 के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी पाई गई है:

3. अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति

बोर्ड ने आवधिक रूप से क्षेत्र कार्यालयों में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। संगठन के विस्तार और कार्य प्रकृति के संबंध में बोर्ड के अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति समुचित और पर्याप्त थी।

4. वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति

संगठन के विस्तार एवं कार्य प्रकृति के संबंध में कॉफी बोर्ड की वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति, समुचित एवं पर्याप्त थी। वर्ष 2021-22 के लिए, बोर्ड ने वस्तु-सूची/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड ने, निर्धारित अवधि में सभी सांविधिक देयों का नियमित रूप से भुगतान किया है।

M. S. Subramanyam

(एम.एस.सुब्रमण्यम)

महा निदेशक

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलनपत्र

(₹ में)

कार्पस/पूँजीगत निधि एवं देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	1417148415	1353436366
आरक्षित और अधिशेष	2		
चिह्नित/ अक्षय निधि	3	690342254	615592320
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4		
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित ऋण देयताएँ	6		
चालू देयताएँ व प्रावधान	7	321523537	397988577
योग		2429014206	2367017263
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ	8	932478810	947344184
निवेश-चिह्नित/ अक्षय निधियों से	9	614150990	604848902
निवेश-अन्य	10		
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	882384407	814824177
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)			
योग		2429014206	2367017263
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ व लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति समेकित तुलनपत्र

(₹ में)

	अनुसूची	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चिह्नित	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/ पूँजीगत निधि एवं देयताएँ						
कॉर्पस/ पूँजीगत निधि	1	1449191214	-32042799		1417148415	1353436366
आरक्षित और अधिशेष	2					
चिह्नित/ अक्षय निधि	3			690342254	690342254	615592320
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4					
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5					
आस्थगित ऋण देयताएँ	6					
चालू देयताएँ व प्रावधान	7	176475928	126599609	18448000	321523537	397988577
योग		1625667142	94556810	708790254	2429014206	2367017263
परिसंपत्तियाँ						
अचल परिसंपत्तियाँ	8	932478810			932478810	947344184
निवेश-चिह्नित/ अक्षय निधियों से	9			614150990	614150990	604848902
निवेश-अन्य	10					
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	693188333	94556810	94639264	882384407	814824177
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)						
योग		1625667142	94556810	708790254	2429014206	2367017263
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24					
आकस्मिक देयताएँ व लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25					

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	27547863	16496905
अनुदान/सब्सिडी (भारत सरकार से)	13	1638925000	1791400000
शुल्क/अभिदान	14		
निवेशों से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15		
अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	3740602	15136370
अन्य आय	18	91671397	75306914
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य	19	2043014	3625887
योग (क)		1763927876	1901966075
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1319906561	1227028480
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	65688160	99309497
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	280708915	485006382
सरकार को प्रतिदेय		7666361	18376487
मूल्यहास/ क्षति (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची 8 को संगत)		36245829	39502154
योग (ख)		1710215826	1869223000
व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		53712050	32743076
कॉर्पोस/पूँजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष रकम			
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय व व्यय लेखा

(₹ में)

	अनुसूची	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12	27547863		27547863	16496905
अनुदान/सब्सिडी (भारत सरकार से)	13	1484100000	154825000	1638925000	1791400000
शुल्क/अभिदान	14				
निवेशों से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15				
अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	3740602	0	3740602	15136370
अन्य आय	18	91671397	0	91671397	75306914
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य	19	2043014		2043014	3625887
योग (क)		1609102876	154825000	1763927876	1901966075
व्यय					
स्थापना व्यय	20	1319906561		1319906561	1227028480
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	65688160		65688160	99309497
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	129133915	151575000	280708915	485006382
सरकार को प्रतिदेय	23	4416361	3250000	7666361	18376487
मूल्यहास हानि (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची 8 को संगत)	8	36245829		36245829	39502154
योग (ख)		1555390826	154825000	1710215826	1869223000
व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		53712050	0	53712050	32743076
कॉर्पस/ पूँजीगत निधि में अग्रनीत शेष					
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24				
आनुषंगिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25				

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक

काँफ़ी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 1 व 2	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 1 कार्पोस/ पूँजीगत निधि						
वर्ष 01.04.2021 के प्रारंभ में यथास्थिति शेष	1385479165	1348135036	-32042799	-32541746	1353436366	1315593290
परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्राप्त अनुदान (ओएनईआर-₹50,00,000 + एनईआर ₹50,00,000)	10000000	5100000			10000000	5100000
सकलेशपुर में बोर्ड की भूमि अधिग्रहण पर पूँजीगत अधिलाभ	-				0	0
काँफ़ी बागान - पूँजीकृत					0	0
आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष - पूँजीकृत					0	0
जोड़ें : आय व व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/ व्यय का शेष	53712050	32244129	0	498947	53712050	32743076
31.03.2022 को समाप्त वर्ष को यथास्थिति शेष	1449191214	1385479165	-32042799	-32042799	1417148415	1353436366

अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अधिशेष						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 3 : चिह्नित/ अक्षय निधि	पेंशन निधि		राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस)		भविष्य निधि		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का अथशेष	242866709	257468144	3268052	2932371	367054871	371486423	613189632	631886938
ख) निधियों में जोड़								
i) बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज	13971070	14061907	116600	137977	16815992	19299611	30903662	33499495
ii) बचत खाते से प्राप्त ब्याज			114779	76866	797687	800909	912466	877775
iii) शुल्क एवं अभिदान			37231056	21837820			37231056	21837820
iv) अन्य प्राप्तियाँ		41063990						41063990
v) अनुदान द्वारा	837000000	708960000					837000000	708960000
vi) अभिदान एवं अंशदान					67817990		67817990	0
						70196919		70196919
योग (क+ख)	1093837779	1021554041	40730487	24985034	452486540	461783862	1587054806	1508322937
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
ii) राजस्व व्यय								
क) वेतन, मज़दूरी एवं भत्ते आदि								
ख) अन्य प्रशासनिक व्यय (पेंशन भुगतान सहित)	773203388	778687332	37182750				810386138	778687332
ग) बैंक प्रभार								0
घ) स्कीम व्यय								
ङ) प्रेषण धन				21716982			0	21716982
च) प्रतिदेय, जमा एवं अन्य भुगतान								
छ) निकासी					53056000	56618000	53056000	56618000
ज) अंतिम निपटान					35673102	38110991	35673102	38110991
झ) आनुषंगिक								
कुल व्यय	773203388	778687332	37182750	21716982	88729102	94728991	899115240	895133305
निधियों का अंतशेष (क)	320634391	242866709	3547737	3268052	363757438	367054871	687939566	613189632

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची 3 : चिह्नित/ अक्षय निधि	संपादकीय समिति		कॉफी बोर्ड क.हि. निधि		कॉफी बोर्ड क स ब स बीमा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का अथशेष	19092	19092	559505	543914	1824091	1875059	2438065	2438065
ख) निधियों में जोड़								
i) बँक के जमा/बचत खाते पर प्राप्त ब्याज			15186	14871	56162	46872	71348	61743
ii) फ्लेक्सी खाता								
iii) शुल्क एवं अभिदान								
iv) अन्य प्राप्तियाँ								
v) एल आई सी से प्राप्त निपटारा					2645047	2599311	2645047	2599311
vi) टीडीएस प्रत्यावर्तन								
vii) अभिदान एवं अंशदान				720	366100	366300	366100	367020
viii) सावधि जमा परिपक्वता								
योग (क+ख)	19092	19092	574691	559505	4891400	4887542	5485183	5466139
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
ii) राजस्व व्यय								
क) वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय								
ख) अन्य प्रशासनिक व्यय								
ग) स्कीम व्यय								
घ) अंतिम निपटान					2525489	2699926	2525489	2699926
ङ) जी एस एल आई अभिदान का प्रेषण					364950	363525	364950	363525
च) विविध						266		
छ) मानदेय								
कुल व्यय	0	0	0	0	2890439	3063451	2890439	3063451
निधियों के अंत शेष (ख)	19092	19092	574691	559505	2000961	1824091	2402688	2402688
निधियों के अंत शेष का महायोग (क+ख)	320653483	242885801	4122428	3827557	365758399	368878962	690342254	615592320
अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण एवं उधार							शून्य	शून्य
अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण एवं उधार							शून्य	शून्य
अनुसूची 6: आस्थगित ऋण देयताएँ अधिशेष							शून्य	शून्य

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. चालू देयताएँ								
1. विविध लेनदार								
माल के लिए								
अन्य - कालातीत चेक का विपर्यय	78,88,031	71,40,459	66,98,937	56,65,083			1,45,86,968	1,28,05,542
विविध लेनदार (अन्य)	53,416	53,416	-	-			53,416	53,416
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल)	-	85,55,853	-	-			-	85,55,853
ओएनईआर								
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल)	1,91,245	5,99,185	-	-			1,91,245	5,99,185
एनईआर								
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल)	-	7,68,723	-	-			-	7,68,723
प्रोन्नयन एकक								
कुल	81,32,692	1,71,17,636	66,98,937	56,65,083	-	-	1,48,31,629	2,27,82,719
2. प्राप्त अग्रिम								
बयाना राशि जमा/ प्रतिभूति जमा	53,39,969	68,93,732	-	-			53,39,969	68,93,732
किराया जमा	18,70,500	18,70,500	-	-			18,70,500	18,70,500
किराया अग्रिम (प्राप्त)	6,12,380	6,12,380	-	-			6,12,380	6,12,380
निष्पादन गारंटी प्रतिदेय	11,16,263	11,16,263	-	-			11,16,263	11,16,263
सेवा एवं आपूर्ति के लिए अग्रिम	23,350	-	-	-			23,350	-
कुल	89,62,462	1,04,92,875	-	-	-	-	89,62,462	1,04,92,875
3. सांविधिक देयताएँ - अन्य कर एवं शुल्क								
बिक्री कर - ठेके का कार्य		41,808	-	-			-	41,808
कर व दर - वैट - बिक्री कर (अन्य)		18,28,323	-	-			-	18,28,323
टीडीएस अन्य		3,56,454	-	-			-	3,56,454
जीएसटी		23,90,535	-	-			-	23,90,535
जीएसटी (देय)	1,50,417	1,50,417	-	-			1,50,417	1,50,417
कुल	1,50,417	47,67,537	-	-	-	-	1,50,417	47,67,537
4. अन्य चालू देयताएँ								
क. वेतन एवं अन्य प्रभार देय								
अधिकारियों का वेतन (देय)	2,74,56,788	2,67,34,965	-	-			2,74,56,788	2,67,34,965
स्थापना का वेतन (मूल वेतन)-(देय)	-	-	-	-			-	-
महंगाई भत्ता (देय)	1,13,57,018	48,08,958	-	-			1,13,57,018	48,08,958
प्रतिनियुक्ति भत्ता (देय)	18,000	18,000	-	-			18,000	18,000
अन्य भत्ते (देय)	36,37,834	47,47,265	-	-			36,37,834	47,47,265
7वें सीपीसी बकाया (पूर्वोत्तर)	-	-	-	-			-	-
यात्रा भत्ते (देय)	14,71,137	-	-	-			14,71,137	-
बिजली प्रभार - कार्यालय भवन (देय)	-	-	-	-			-	-
किराया - कार्यालय भवन (देय)	-	6,48,045	-	-			-	6,48,045
पेंशन अंशदान (देय)	7,07,807	4,43,520	-	-			7,07,807	4,43,520
छुट्टी वेतन अंशदान (देय)	7,99,790	4,17,145	-	-			7,99,790	4,17,145
वर्दी (देय)	-	-	-	-			-	-
बाजार समर्थन स्कीम (बकाया भुगतान)								



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची - 7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी.	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
योजना लेखा को देय								
संशोधन/ ट्यूशन शुल्क/ छात्रावास सब्सिडी (देय)	4,86,000	-	-	-	-	-	4,86,000	-
वापसी योग्य स ख अ (मूल धन)		11,167	-	-	-	-	-	11,167
	4,59,34,374	3,78,29,065	-	-	-	-	4,59,34,374	3,78,29,065
	4,59,34,374	3,78,29,065	-	-	-	-	4,59,34,374	3,78,29,065
गु नि अ पर प्रतिदेय ब्याज	28,604	28,604	-	-	-	-	28,604	28,604
प्रतिदेय गु नि अ (मूल धन)	2,424	2,424	-	-	-	-	2,424	2,424
स ख अ पर प्रतिदेय ब्याज	8,934	8,934	-	-	-	-	8,934	8,934
वापसी योग्य वै.क.अ.	71,377	71,377	-	-	-	-	71,377	71,377
वै.क.अ. पर प्रतिदेय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
फार्म अनुरक्षण (आनुवंशिक) (देय)	-	2,76,317	-	-	-	-	-	2,76,317
टेलिफोन प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
जल प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रत्याहृत वेतन	2,00,410	2,00,410	-	-	-	-	2,00,410	2,00,410
भवन अनुरक्षण प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन अनुरक्षण- प्रभार (देय) एसएपी के अधीन प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
भविष्य निधि अनुभाग को देय टीडीएस	80,691	80,691	-	-	-	-	80,691	80,691
चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	3,88,377	-	-	-	-	-	3,88,377	-
समयोपरि भत्ता (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रम मजदूरी व भत्ता (देय)	-	6,21,410	-	-	-	-	-	6,21,410
मजदूर अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
परामर्श/ व्यावसायिक प्रभार (देय)	-	5,17,295	-	-	-	-	-	5,17,295
आतिथ्य प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रत्याहृत छुट्टी नकदीकरण	10,58,610	10,58,610	-	-	-	-	10,58,610	10,58,610
आतिथ्य प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
जेआरएफ (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण का अनुरक्षण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
पूल निधि को देय	15,948	15,948	-	-	-	-	15,948	15,948
डाक प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
इंडियन कॉफी के मुद्रण व प्रकाशन (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक प्रभार/ परामर्श प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
एसएपी के अधीन देय	-	-	-	-	-	-	-	-
आकस्मिक प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
दूध खरीद देय	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क देय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेस विज्ञापन देय	-	-	-	-	-	-	-	-
चीनी की खरीद (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्य स्थिरीकरण निधि (देय)	29,143	29,143	-	-	-	-	29,143	29,143
वाहन की मरम्मत (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
डेटा एंटी ऑपरेटरों को मजदूरी (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालय एवं पत्रिकाओं का अनुरक्षण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कंप्यूटर का अनुरक्षण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
आईवीआर विस्तारण सेवा (देय)	54,290	54,290	-	-	-	-	54,290	54,290
अतिरिक्त आयकर की वापसी रसीद	7,905	7,905	-	-	-	-	7,905	7,905
	4,78,81,087	4,08,02,423	-	-	-	-	4,78,81,087	4,08,02,423
देय किराया	-	-	-	-	-	-	-	-
गृह व्यवस्था प्रभार देय	4,91,376	-	-	-	-	-	4,91,376	-
विकास ऋण वापसी, भारत सरकार को देय	-	-	13,01,134	13,01,134	-	-	13,01,134	13,01,134
टी.डी.एस फ्लेक्सी जमा (प्रत्यावर्तित किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-
रोस्टिंग प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला भंडार एवं रासायनिक	-	-	-	-	-	-	-	-
संगोष्ठी/बैठक/अध्ययन दौरा	-	-	-	-	-	-	-	-
सामायिक चालकों के लिए मजदूरी	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज सब्सिडी (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
संसाधन हेतु समर्थन (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
आईईवीआर खाते में अंतरणीय	2,40,54,713	4,30,67,402	18,32,229	22,36,227	-	-	2,58,86,942	4,53,03,629
माल भाड़ा एवं कृली प्रभार (देय)	5,880	-	-	-	-	-	5,880	-
वाहनों का भाड़ा एवं परिवहन प्रभार (देय)	-	5,880	-	-	-	-	-	5,880
छुट्टी नकदीकरण (देय)	1,44,989	-	-	-	-	-	1,44,989	-
कानूनी प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
नई पेंशन, बोर्ड का योगदान (देय)	17,64,593	9,24,588	-	-	-	-	17,64,593	9,24,588
नई पेंशन, बोर्ड के कर्मचारियों का योगदान (देय)	3,72,482	6,45,938	-	-	-	-	3,72,482	6,45,938
ईपीएफ, बोर्ड का योगदान (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
मुद्रण व लेखन सामग्री (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षा, पहरा व निगरानी (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
ठेके कार्य का प्रत्याहृत राशि (देय)	5,47,470	5,47,470	-	-	-	-	5,47,470	5,47,470
प्रतिनिधितरित क्षति की वसूली ठेके का कार्य (प्रतिदेय)	1,42,634	1,42,634	-	-	-	-	1,42,634	1,42,634
प्रदर्शन अग्रदाय सं. अ, नई दिल्ली	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000
पीजीडी पाठ्यक्रम (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
टीएसपी के अधीन देय	-	-	-	-	-	-	-	-
एससी उप-योजना (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
छुट्टी यात्रा रियायत (देय)	-	31,07,048	-	-	-	-	-	31,07,048
सब्सिडी लेखा में देय	25,940	25,940	-	-	-	-	25,940	25,940
गैस (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
उपभोज्य वस्तुओं की खरीद (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
गृह व्यवस्था प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
बोर्ड की बैठकों पर व्यय (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉफी पर विज्ञापन व प्रचार-प्रसार (देय)	-	1,50,000	-	-	-	-	-	1,50,000
पेंशन संराशिकरण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त उपदान (देय)	-	-	-	-	1,84,48,000	1,31,76,688	1,84,48,000	1,31,76,688
2006 से पूर्व-पेंशन (डीलिक) - (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
पेंशनर्स को प्रतिदाय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	7,54,31,164	8,94,44,323	31,33,363	35,37,361	1,84,48,000	1,31,76,688	9,70,12,527	10,61,58,372



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
5. देय धन-प्रेषण								
पी.बी.आर प्रेषण	13,01,054	5,87,291	-	-	-	-	13,01,054	5,87,291
आयकर (आईटी) - पेंशनर्स	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	13,01,054	5,87,291	-	-	-	-	13,01,054	5,87,291
6. अप्रयुक्त सरकारी अनुदान								
सरकार को प्रतिदेय निधियाँ (सीडीआरपी)	6,28,80,505	6,28,80,505	-	-	-	-	6,28,80,505	6,28,80,505
सरकार को प्रतिदेय सीडीआरपी अनुदान पर ब्याज	33,64,522	1,93,24,230	-	-	-	-	33,64,522	-
सरकार को प्रतिदेय अनुदान पर फ्लेक्सि पर ब्याज	27,70,446	-	-	-	-	-	27,70,446	-
योग	6,90,15,473	8,22,04,735	-	-	-	-	6,90,15,473	8,22,04,735
कुल चालू देयताएँ (क)	16,29,93,262	20,46,14,397	98,32,300	92,02,444	1,84,48,000	1,31,76,688	19,12,73,562	22,69,93,529
ख. प्रावधान								
आईसीओ लंदन परियोजना में उपयोग हेतु अग्रनीत	56,58,322	66,05,775	-	-	-	-	56,58,322	66,05,775
टी.आई.ई.एस उपयोग के लिए अग्रनीत (2018-19 के दौरान प्राप्त अनुदान)	-	-	-	-	-	-	-	-
ए.आई.सी. परियोजना हेतु प्रावधान	9,76,277	-	-	-	-	-	9,76,277	-
स्कीम व्यय हेतु प्रावधान	-	1,57,89,981	-	-	-	-	-	1,57,89,981
एस ए पी के अधीन लंबित व्यय	-	4,78,800	-	-	-	-	-	4,78,800
एनईआर-चालू पूंजीगत कार्य (लंबित बिल)	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण का प्रतिदेय हेतु प्रावधान	-	-	8,64,59,832	8,64,59,832	-	-	8,64,59,832	8,64,59,832
टीएएसपी देय	-	-	-	1,91,21,429	-	-	-	1,91,21,429
निर्यात प्रोत्साहन देय	-	-	22,54,553	47,56,529	-	-	22,54,553	47,56,529
असंगत रकम	1,14,161	1,14,161	-	-	-	-	1,14,161	1,14,161
बाजार समर्थन देय	-	-	7,46,026	1,82,097	-	-	7,46,026	1,82,097
पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाजार समर्थन स्कीम पर अधिशेष	-	-	9,05,985	15,22,341	-	-	9,05,985	15,22,341
प्रतिदाय योग्य सरकारी अनुदान (एनईआर)	-	-	-	-	-	-	-	-
जीएसटी पर टीडीएस (देय)	1,01,821	1,01,821	-	-	-	-	1,01,821	1,01,821
भारत सरकार को ब्याज - वापसी हेतु प्रावधान	-	-	2,52,30,197	2,52,30,197	-	-	2,52,30,197	2,52,30,197
भारत सरकार को फ्लेक्सि जमा पर ब्याज वापसी हेतु प्रावधान	-	-	11,70,716	-	-	-	11,70,716	-
पूंजीगत कार्यों के लिए प्रावधान	66,32,085	66,32,085	-	-	-	-	66,32,085	66,32,085
बैंक प्रभार हेतु प्रावधान (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
2006 से पूर्व -पेंशनर्स को बकाया (ग्रैंड वेतन ₹4200 - ₹4600)	-	-	-	-	-	40,00,000	-	40,00,000
कुल प्रावधान (ख)	1,34,82,666	2,97,22,623	11,67,67,309	13,72,72,425	-	40,00,000	13,02,49,975	17,09,95,048
चालू देयताएँ एवं प्रावधान का योग (क + ख)	17,64,75,928	23,43,37,020	12,65,99,609	13,85,42,507	1,84,48,000	1,71,76,688	32,15,23,537	39,79,88,577

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूर
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 अचल परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यांकन		निवल ब्लॉक		
		वर्षों में मूल्य/ मूल्यांकन	2021-22 वर्ष के दौरान जोड़ I अर्ध वर्ष II अर्ध वर्ष	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्षों में यथास्थिति वर्षों में मूल्य/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के अंत तक योग	पिछले वर्षों की यथास्थिति
k	अचल परिसंपत्तियाँ							
i	भूमि	9595233			9595233	0		9595233
ii	भवन	551228435	4379566	4379566	555608001	10675017	269901571	285706430
	भवन (टीआईईएस)	7349806	0	0	7349806	75339	444671	6905135
iii	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण (टीआईईएस)	65961361	2990095	734998	69686454	41100866	43922675	25763779
	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण (टीआईईएस)	3481711	0	0	3481711	313354	661525	2820186
	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण (एसएपी)	367602	0	0	367602	99620	126418	241184
iv	फर्नीचर व फिक्स्चर्स	28033845	298889	97079	28429813	18537048	19521470	8908343
	फर्नीचर व फिक्स्चर्स (टीआईईएस)	2376473	0	0	2376473	384072	583312	1793161
v	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण	91288428	1313640	2213702	94815770	61423523	64652063	30163707
	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण (एसएपी)	150808	0	0	150808	25700	38210	112598
	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण (टीआईईएस)	90187681	0	0	90187681	15539076	23003936	67183745
vi	विभागीय वाहन	56848557	0	85174	56933731	26851838	29855768	27077963
vii	आईटी हार्डवेयर	55000543	3021222	83880	58107645	50269756	54167230	3940415
	आईटी हार्डवेयर (एसएपी)	1311398	0	0	1311398	101390	1161394	150004
	आईटी हार्डवेयर (टीआईईएस)	1344030	174439	0	1344030	1139131	1241581	102450
viii	आईटी सॉफ्टवेयर	12360868	194700	369139	12360868	369139	12730007	0
	आईटी सॉफ्टवेयर (एसएपी)	577477	0	0	577477	577477	577477	0
ix	पुस्तकालय के पुस्तकें	22357221	4219	0	22361440	16026498	16663789	5697651
x	कॉफी बागान	114182440	0	0	114182440	62023644	64307293	49875147
xi	आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष	356614516	0	0	356614516	0	0	356614516
	चायू वर्ष का योग (क)	1470618433	7822765	7770838	1486212036	567314561	603560390	882651646
	पिछले वर्ष	1397335130	60458849	9091369	1470618433	527234930	566737084	903303872
ख	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (ख)							
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - ओएनईआर	37933364	7422654	17046849				37933364
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - एनईआर	0	0	0				5692207
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - ओएनईआर (कॉम)	5197442	0	0				6201593
	प्रगतिशील कार्य पूँजी - एसएपी	909506	0	0				909506
	चायू वर्ष का योग (ख)	44040312	7422654	9624195	0	0	0	49827164
	महा योग (क+ख)	1514658745	15245419	17395033	1486212036	567314561	603560390	932478810

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 क - अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक				
		वर्षारंभ में मूल्य/मूल्यांकन	2021-22 के दौरान जोड़			वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्षांत में मूल्य/मूल्यांकन	वर्षारंभ में यथास्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्षांत तक योग	चालू वर्षांत को यथास्थिति	पिछले वर्षांत को यथास्थिति
			I अर्धवर्ष	II अर्धवर्ष	योग								
क	अचल परिसंपत्तियाँ												
I	भूमि					-					-	-	
II	भवन					-					-	-	
III	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण	53,55,878										53,55,878	
IV	फर्नीचर व फ़िक्सचर्स					-					-	-	
V	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण					-					-	-	
VI	वाहन	22,85,939										22,85,939	
VII	आईटी हार्डवेयर	40,966										40,966	
VIII	आईटी सॉफ़्टवेयर					-					-	-	
IX	पुस्तकालय के पुस्तकें	2,98,300										2,98,300	
	चालू वर्ष का योग	79,81,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,81,083	
	पिछले वर्ष का योग	79,81,083										79,81,083	
											महायोग	79,81,083	

उप सचिव (लेखा)



अनुसूची 8 का अनुबंध

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु

I. यथा 31.03.2022 को यथास्थिति प्रगतिशील पूँजीगत कार्य - ओएनईआर (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)					
क्र. सं.	कार्य का विवरण	राशि ₹ में			अभ्युक्तियाँ
		व्यय	31.03.2022 तक व्यय	देय राशि	
1.	कॉफी गोडॉन के निर्माण (टीईसी, कट्टपना - केरल)	16,27,675		16,27,675	
2.	आर सी आर एस आर.वी.नगर में बीज संसाधन हाउस के निर्माण	40,64,532		40,64,532	
	योग	56,92,207	-	56,92,207	

II. यथा 31.03.2022 को यथास्थिति प्रगतिशील पूँजीगत कार्य - एनईआर (स्कीम)					
क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय	31.03.2022 तक व्यय	देय राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	आरसीआरएस दिफु में ड्राइंग यार्ड के निर्माण	13,83,331		13,83,331	
2.	कॉफी गोडॉन के निर्माण -आरसीआरएस दिफु	35,50,262		35,50,262	
	योग	49,33,593	-	49,33,593	

III. 31.03.2021 को यथास्थिति प्रगतिशील पूँजीगत कार्य - एनईआर (स्कीम)					
क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय	31.03.2022 तक व्यय	देय राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	टी ई सी डिओमाली, अरुणाचल प्रदेश में कार्यालय भवन के मरम्मत	12,68,000		12,68,000	
	योग	12,68,000	-	12,68,000	
	कुल एनईआर अनुदान	62,01,593	-	62,01,593	

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची - 9, 10 एवं 11

अनुसूची - 9: चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य जमा खाता					61,41,50,990	0,48,48,902	61,41,50,990	60,48,48,902
जमा खाता							-	-
योग					61,41,50,990	60,48,48,902	61,41,50,990	60,48,48,902

अनुसूची-10: निवेश - अन्य								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
क. चालू परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वस्तु सूची								
क. भंडार माल								
तैयार माल (एन.ई.आर विपणन में न बिके हुए माल)								
कच्चा कॉफी का भंडार	1,80,71,046	1,54,74,702	-	-			1,80,71,046	1,54,74,702
उपभोज्य वस्तुएँ	-	-	-	-			-	-
व्यापारिक वस्तुएँ	40,68,038	46,21,368	-	-			40,68,038	46,21,368
योग	2,21,39,084	2,00,96,070	-	-	-	-	2,21,39,084	2,00,96,070
2. विविध देनदार								
रोपको से अतिदेय - मूलधन एवं ब्याज	-	-	8,64,59,832	8,64,59,832			8,64,59,832	8,64,59,832
उधार बिक्री	1,62,72,921	1,38,83,995	-	-			1,62,72,921	1,38,83,995
अन्य विविध देनदार	55,994	55,994	-	-			55,994	55,994
विविध देनदार (सेवा कर) / जीएसटी (प्राप्य)	10,14,213	10,05,669	-	-			10,14,213	10,05,669
अन्य - बैंक में जमा	5,000	5,000	-	-			5,000	5,000
विविध देनदार के अप्राप्त चैक का प्रत्यावर्तन	34,38,597	34,38,597	-	-			34,38,597	34,38,597
बी.डी.ए.से प्राप्य	3,03,619	3,03,619	-	-			3,03,619	3,03,619
विविध देनदार (सेवा कर)	57,009	57,009	-	-			57,009	57,009
योग	2,11,47,353	1,87,49,883	8,64,59,832	8,64,59,832	-	-	10,76,07,185	10,52,09,715
3. हस्तगत नकद शेष								
मुख्य कार्यालय में नकद	-	-	-	-			-	-
फील्ड कार्यालय में नकद	-	12,129	-	-			-	12,129
योग	-	12,129	-	-	-	-	-	12,129
3(क). मार्गस्थ रोकड़								
मार्गस्थ रोकड़	-	-	-	-			-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बैंक शेष								
क) अनुसूचित बैंकों में	60,40,41,074	57,04,96,140	23,72,257	2,23,25,534			60,64,13,331	59,28,21,674
चालू खाते में, मुख्य कार्यालय	15,76,660	79,07,780	35,09,877	46,68,507			50,86,537	1,25,76,287
चालू खाते में, फील्ड कार्यालय							-	-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
जमा खाते में	-	-	-	-	8,32,22,221	1,27,81,732	8,32,22,221	1,27,81,732
बचत खाते में (मुख्य कार्यालय)	-	-	-	-	-	-	-	-
बचत खाते में (फील्ड कार्यालय)	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू खाते से बदल कर फ्लेक्सी जमा पर (मु. का)	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	605617734	578403920	5882134	26994041	83222221	12781732	694722089	618179692
5. डाक एवं फ्रैंकिंग मशीन का शेष		10,184						10,184
योग		10,184						10,184
महायोग - क	64,89,04,171	61,72,72,186	9,23,41,966	11,34,53,873	8,32,22,221	1,27,81,732	1,43,86,19,348	74,35,07,790
ख. ऋण अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ								
1. ऋण								
क) स्टाफ								
कंप्यूटर खरीद अग्रिम (पीसीए)	-	-	-	-	-	-	-	-
सवारी खरीद अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
गृह निर्माण अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
छु या रि/ या भ अग्रिम	24,24,240	33,76,425	-	-	-	-	24,24,240	33,76,425
चिकित्सा अग्रिम	13,40,924	13,40,924	-	-	-	-	13,40,924	13,40,924
त्योहार अग्रिम (स्टाफ)	-	19,12,000	-	-	-	-	-	19,12,000
त्योहार अग्रिम (मजदूर)	41,550	28,000	-	-	-	-	41,550	28,000
मृत्यु राहत अग्रिम	55,762	33,000	-	-	-	-	55,762	33,000
योग	38,62,476	66,90,349					38,20,926	47,50,349
2. प्राप्त मूल्य के लिए या नकद या वस्तु रूप में वसूलीय अग्रिम एवं अन्य रकम								
क) पूँजीगत लेखा पर								
मार्गस्थ रोकड़ हेतु प्रावधान	2,60,745	2,60,745	-	-	-	-	2,60,745	2,60,745
बंद एककों की लेखा	2,40,181	2,40,181	-	-	-	-	2,40,181	2,40,181
आईबीआर से प्राप्य	-	-	25,940	25,940	-	-	25,940	25,940
आयकर प्राधिकारियों द्वारा ज़ब्त निधियाँ	3,59,885	3,59,885	-	-	-	-	3,59,885	3,59,885
प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
उच्च न्यायालय में जमा	3,62,988	3,62,988	-	-	-	-	3,62,988	3,62,988
टी.डी.एस फ्लेक्सी जमा (प्रत्यावर्तित किया जाना है)	22,50,875	22,50,875	-	-	-	-	22,50,875	22,50,875
वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा ज़ब्त	4,47,913	4,47,913	-	-	-	-	4,47,913	4,47,913
योजना स्कीम प्रोन्नयन व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
वसूली योग्य टीडीएस	40,574	40,574	-	-	-	-	40,574	40,574
एककों को अंतर-निधि का अंतरण	-	71,16,882	-	-	-	-	-	71,16,882
प्राप्य वैट प्रतिदेय प्राप्य	14,959	14,959	-	-	-	-	14,959	14,959
ख) पूर्व-भुगतान								
पेट्रो कार्ड अग्रिम (पी-पेड पेट्रोल अग्रिम)	26,46,248	11,00,001	-	-	-	-	26,46,248	11,00,001
आकस्मिक अग्रिम	61,43,728	58,15,702	-	-	-	-	61,43,728	58,15,702



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सेल्व कुमार, उ.नि.अ, चुंडेल (निलंबित)	4,90,004	4,90,004	-	-			4,90,004	4,90,004
सेवा एवं आपूर्ति हेतु अग्रिम	1,496	1,496	-	-			1,496	1,496
प्रदर्शनी के लिए अग्रिम	1,73,281	1,73,281	-	-			1,73,281	1,73,281
वैट के साथ अग्रिम	4,83,490	4,83,490	-	-			4,83,490	4,83,490
लो.नि.वि, दिफू के साथ जमा अंशदान कार्य (अग्रिम)	41,00,000	41,00,000	-	-			41,00,000	41,00,000
ग) अन्य							-	-
कालातीत चेक ईएफटी का प्रत्यावर्तन	6,21,043	6,21,043	-	-			6,21,043	6,21,043
किराया अग्रिम राशि	1,20,000	1,20,000	-	-			1,20,000	1,20,000
के.ई.बी में जमा राशि	1,15,507	1,15,507	-	-			1,15,507	1,15,507
टेलीफोन में जमा राशि	60,396	60,396	-	-			60,396	60,396
गैस में जमा राशि	43,248	43,248	-	-			43,248	43,248
टी.एन.ई.बी में जमा राशि	8,990	8,990	-	-			8,990	8,990
बिजली जमा	3,70,400	3,70,400	-	-			3,70,400	3,70,400
बिक्री कर जमा	5,000	5,000	-	-			5,000	5,000
प्राय किराया	23,44,974	21,57,802	-	-			23,44,974	21,57,802
योजना खाते से प्राप्य (आईईबीआर)							-	-
निधियों का अंतरण	79,11,533	1,01,53,609	16,33,465	3,96,818			95,44,998	1,05,50,427
पेंशन से प्राप्य	200	200	-	-			200	200
बिजली हेतु अग्रिम	10,000	10,000	-	-			10,000	10,000
स्टॉफ से वसूली योग्य अनुलाभ कर	1,89,672	1,89,672	-	-			1,89,672	1,89,672
प्रतिभूति जमा	-	-	1,27,000	1,27,000			1,27,000	1,27,000
प्रत्यावर्तन योग्य फ्लेक्सी पर टीडीएस	-	-	4,28,439	4,28,439			4,28,439	4,28,439
भविष्य निधि अग्रिम (वसूली योग्य)	-	-	-	-	9,21,994	10,99,769	9,21,994	10,99,769
आयकर अधिकारियों व स्टॉफ	3,72,180	4,69,749	-	-				
ईपीएफ कर्मचारियों के अंशदान	-	-	-	-			-	-
आयकर प्रतिदाय					1,70,034	1,70,034	1,70,034	1,70,034
योग	3,01,89,510	3,75,84,592	22,14,844	9,78,197	10,92,028	12,69,803	3,31,24,202	3,93,62,843
3. उपचित आय								
स्टॉफ के ऋण पर अदेय उपचित ब्याज	28,38,937	34,38,491	-	-			28,38,937	34,38,491
बचत खातों पर उपचित ब्याज	-	-	-	-			-	-
जमाओं पर उपचित ब्याज	-	-	-	-	1,03,25,015	1,38,68,571	1,03,25,015	1,38,68,571
स्टाफ अग्रिम की वसूली तथा वर्तमान अग्रिम से संबंधित	2,40,674	3,33,818	-	-			2,40,674	3,33,818
उपचित ब्याज-फ्लेक्सी लेखा पर	71,52,565	71,52,565	-	-			71,52,565	71,52,565
योग	1,02,32,176	1,09,24,874	-	-	1,03,25,015	1,38,68,571	2,05,57,191	2,47,93,445
योग (ख)	4,42,84,162	5,51,99,815	22,14,844	9,78,197	1,14,17,043	1,51,38,374	5,75,02,319	6,89,06,637
योग (क+ख)	69,31,88,333	67,24,72,001	9,45,56,810	11,44,32,070	9,46,39,264	2,79,20,106	88,23,84,407	81,48,24,176

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2022 को यथास्थिति मीयादी जमा संबंधी विवरण

अनुसूची-9 का अनुबंध

(₹ में)

क. भविष्य निधि लेखा					
क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31.03.2022 तक उपचित ब्याज
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कूक टाउन शाखा	30.11.2021 से 30.11.2022 तक	5.10%	55000000	932935
2.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इफांटी रोड शाखा	24.03.2022 से 24.03.2023 तक	5.15%	195000000	192596
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अम्बेडकर वीथी शाखा	18.03.2022 से 18.03.2023 तक	5.10%	100000000	181644
			योग	350000000	1307175

ख. पेंशन निधि					
क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31.03.2022 तक उपचित ब्याज
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कूक टाउन शाखा	21.06.2021 - 21.06.2022	5.25%	189000000	7551735
2.	यूनियन बैंक, आंध्र बैंक, कूक टाउन शाखा	31.08.2021- 31.08.2022	5.20%	43259238	1302728
3.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अम्बेडकर वीथी शाखा	09.03.2022-09.03.2023	5.10%	19709120	60587
4.	यूनियन बैंक, आंध्र बैंक, कूक टाउन शाखा	09.03.2022-09.03.2023	5.10%	9950000	30587
			योग	261918358	8945637

ग. नई पेंशन योजना					
क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31.03.2022 तक उपचित ब्याज
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कूक टाउन शाखा	16.08.2021- 16.08.2022	5.20%	2232631	72203
			योग	2232632	72203
				614150990	10325015

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा के भाग की अनुसूची

(₹ में)

अनुसूची - 12 बिक्री/ सेवाओं से आय	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
तरल कॉफी की बिक्री	1,89,27,774	1,17,07,047			1,89,27,774	1,17,07,047
कॉफी पाउडर की बिक्री	38,71,808	28,26,005			38,71,808	28,26,005
कैटरिंग के जरिए बिक्री	41,08,958	14,97,543			41,08,958	14,97,543
मिनरल वाटर की बिक्री	-	-			-	-
एस एस कॉफी फ़िल्टर की बिक्री	6,39,323	4,66,310			6,39,323	4,66,310
योग	27547863	16496905	0	0	27547863	16496905
अनुसूची - 13 अनुदान/सब्सिडी						
योजना सहायता अनुदान - सामान्य (ओएनईआर) स्कीम	11,00,00,000	11,00,00,000			11,00,00,000	11,00,00,000
योजना सहायता अनुदान - सामान्य (एनईआर)	5,69,00,000	6,79,00,000			5,69,00,000	6,79,00,000
सहायता अनुदान - एसएपी	80,00,000	80,00,000			80,00,000	80,00,000
योजना सहायता अनुदान - सामान्य - (प्रशा)	6,11,00,000	10,00,00,000			6,11,00,000	10,00,00,000
योजना सहायता अनुदान - वेतन	1,24,81,00,000	1,13,20,00,000			1,24,81,00,000	1,13,20,00,000
योजना सहायता अनुदान [टीआईईईएस]	-	-			-	-
सब्सिडी (ओएनईआर)	-	-	7,70,00,000	24,00,00,000	7,70,00,000	24,00,00,000
एससी उप-योजना	-	-	82,50,000	3,30,00,000	82,50,000	3,30,00,000
आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	-	-	4,95,75,000	6,40,00,000	4,95,75,000	6,40,00,000
सब्सिडी (एनईआर)	-	-	2,00,00,000	3,65,00,000	2,00,00,000	3,65,00,000
योग	1484100000	1417900000	154825000	373500000	1638925000	1791400000

अनुसूची - 14: शुल्क/ अभिदान					शून्य	शून्य
-----------------------------	--	--	--	--	-------	-------

अनुसूची - 15: निवेशों से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय असुरक्षित ऋण एवं उधार निधियों पर अंतरित निधि)					शून्य	शून्य
--	--	--	--	--	-------	-------

अनुसूची - 16: रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय					शून्य	शून्य
--	--	--	--	--	-------	-------



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 17: अर्जित ब्याज						
1. वचत खाते पर						
सावधि जमा पर	-	-	-	-	-	-
फ्लेक्सी जमा पर	37,40,602	1,46,39,813		4,04,741	37,40,602	1,50,44,554
2. ऋणों पर - कर्मचारी						
स्टाफ़ को दिए अग्रिम पर ब्याज		6,708			-	6,708
दंडात्मक ब्याज (स्टाफ़ अग्रिम)		85,108			-	85,108
3. अन्य						
विविध					-	-
अल्पकालीन जमा पर ब्याज	-				-	-
योग	3740602	14731629	0		3740602	15136370

अनुसूची - 18 अन्य आय						
1. परिसंपत्तियों के बिक्री/ निपटान से लाभ (पुराने वाहनों के निपटान)						
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियाँ	-					
2. विविध आय						
कॉफ़ी क्यूरिंग कार्यों के लिए समर्थन						
किराया	2,17,95,206	2,06,79,211			2,17,95,206	2,06,79,211
अनुपयोज्य वस्तुओं का विक्रय	-	-			-	-
विविध प्राप्तियाँ	8,95,478	26,68,200		94,206	8,95,478	27,62,406
लाइसेंस शुल्क एवं क्वार्टर्स किराया		5,72,851			-	5,72,851
केंद्र सरकार के एजेंसीस		6,15,492			-	6,15,492
आई.सी.ओ. लंडन से प्राप्त निधि					-	-
डब्ल्यू सी आर परियोजना		1,42,421			-	1,42,421
एन बी एस एस व एल यू पी परियोजना		5,00,000			-	5,00,000
आई आई एच आर बोर्डर परियोजना से प्राप्त निधि	-	-			-	-
एफ पी ओ (कृषक उत्पाद संघ) से निधि	-	-			-	-
प्लाक्रोसिम से प्राप्त निधि	-	-			-	-
आर टी आई		250			-	250
आई ई बी आर	6,89,80,713	4,99,62,485			6,89,80,713	4,99,62,485
कैश हैडलिंग चार्जिस		28,740			-	28,740



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची - 18 अन्य आय जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आई ई बी आर - गैर योजना	-	-			-	-
गेस्ट हाउस किराया	-	-			-	-
क्रेडिट का पत्र (एल.सी. टीआईईएस)		43,058			-	43,058
पूल कॉफ़ी मार्केट समर्थन के प्राप्ति	-	-			-	-
अनुरक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति	-	-			-	-
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक मूल्य (भूमि अधिग्रहण)	-	-			-	-
योग	9,16,71,397	7,52,12,708	-	94,206	9,16,71,397	7,53,06,914

अनुसूची - 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य						
क) 31.03.2022 को यथास्थिति समाप्त स्टॉक						
पुस्तकें व प्रकाशन	3,10,682	5,22,740			3,10,682	5,22,740
कॉफ़ी स्टॉक (कच्चा)	1,80,71,046	1,54,74,702			1,80,71,046	1,54,74,702
उर्वरक एवं रसायन	35,27,373	29,02,714			35,27,373	29,02,714
ब्रोका ट्रेप्स व प्रलोभन	1,45,522	9,78,954			1,45,522	9,78,954
अन्य एस्टेट उत्पाद	84,461	2,16,960			84,461	2,16,960
उपभोज्य वस्तुएँ	-	-			-	-
एस एस कॉफ़ी फ़िल्टर	-	-			-	-
बीज कॉफ़ी	-	-			-	-
योग (क)	2,21,39,084	2,00,96,070			2,21,39,084	2,00,96,070

ख) घटाव : 01-04-2021 को यथास्थिति आरंभिक स्टॉक						
पुस्तकें व प्रकाशन	5,22,740	8,31,935			5,22,740	8,31,935
कॉफ़ी स्टॉक (कच्चा)	1,54,74,702	1,19,72,504			1,54,74,702	1,19,72,504
उर्वरक एवं रसायन	29,02,714	2,37,185			29,02,714	2,37,185
ब्रोका ट्रेप्स व चुंगे	9,78,954	12,25,060			9,78,954	12,25,060
अन्य एस्टेट उत्पाद	2,16,960	13,87,461			2,16,960	13,87,461
एस एस कॉफ़ी फ़िल्टर	-	4,63,538			-	4,63,538
बीज कॉफ़ी	-	1,000			-	1,000
उपभोज्य वस्तुएँ	-	3,51,500			-	3,51,500
योग (ख)	2,00,96,070	1,64,70,183			2,00,96,070	1,64,70,183
निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	20,43,014	36,25,887			20,43,014	36,25,887



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची - 20 स्थापना व्यय	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. वेतन व मजदूरी						
स्थापना का वेतन - मूल वेतन	31,79,12,214	33,18,17,611			31,79,12,214	33,18,17,611
महंगाई भत्ता	9,17,32,561	6,01,24,183			9,17,32,561	6,01,24,183
अन्य भत्ता	5,81,03,792	5,55,39,853			5,81,03,792	5,55,39,853
प्रतिनियुक्ति भत्ता	2,16,000	1,88,005			2,16,000	1,88,005
एम.ए.सी.पी. एस. बकाया	-	-			-	-
योग	46,79,64,567	44,76,69,652			46,79,64,567	44,76,69,652
ख. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवान्त लाभ पर व्यय						
पेंशन निधि को भुगतान	77,75,00,000	74,37,60,000			77,75,00,000	74,37,60,000
पेंशन अंशदान (प्रतिनियुक्त अधिकारी)	7,07,807	10,02,296			7,07,807	10,02,296
नई पेंशन योजना - बोर्ड का शेयर	2,57,47,142	1,09,76,516			2,57,47,142	1,09,76,516
छुट्टी वेतन अंशदान (प्रतिनियुक्त)	7,99,790	6,32,390			7,99,790	6,32,390
उपदान का अंशदान	2,04,76,892	2,17,40,965			2,04,76,892	2,17,40,965
छुट्टी नकदीकरण (सेवानिवृत्ति)	82,52,31,631	77,81,12,167			82,52,31,631	77,81,12,167
योग						
ग. भत्ते व बोनस (प्रशासनिक व्यय)					-	-
छुट्टी नकदीकरण (एल.टी.सी.)	20,47,071	-			20,47,071	-
छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी)	1,41,960	69,92,414			1,41,960	69,92,414
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	92,03,608	68,20,755			92,03,608	68,20,755
संशोधन / शिक्षा शुल्क/ छात्रावास सब्सिडी	63,94,272	34,20,933			63,94,272	34,20,933
समयोपरि भत्ता	79,952	2,36,578			79,952	2,36,578
मानदेय व नकद पुरस्कार	2,38,500	2,36,000			2,38,500	2,36,000
योग	1,81,05,363	1,77,06,680			1,81,05,363	1,77,06,680
घ. कर्मचारियों पर अन्य व्यय						
प्रशिक्षण						
यूनिकार्म	86,05,000	12,46,661			86,05,000	12,46,661
योग	86,05,000	12,46,661			86,05,000	12,46,661
महायोग	1,31,99,06,561	1,22,70,28,480			- 1,31,99,06,561	1,22,70,28,480

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची - 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि जारी ..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
उपभोज्यों/ सामग्रियों की खरीद	-	1,11,919			-	1,11,919
गैस की खरीद	-				-	-
दूध की खरीद					-	-
चीनी की खरीद					-	-
कच्ची कॉफी की खरीद		73,54,455			-	73,54,455
बोरों की खरीद	1,167	7,875			1,167	7,875
पॉलिथीन बैग्स की खरीद					-	-
पैकिंग सामग्रियों की खरीद	-				-	-
क्रॉकरी व कटलरी					-	-
माल परिवहन व कूली प्रभार	-	-	-	-	-	-
कॉफी बीजों की भुनाई	4,34,820	-	-	-	4,34,820	-
किराए का भुगतान	64,81,416	83,71,486			64,81,416	83,71,486
अनुसंधान/विस्तार विभागों से कॉफी का प्रापण	-	-			-	-
कॉफी के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन	57,241	72,890			57,241	72,890
जल प्रभार आई.सी.डी/ आई.सी.एच		12,11,111			-	12,11,111
जीएसटी पर टीडीएस	-	-			-	-
फ्लेक्सी ब्याज पर टीडीएस		1,98,086			-	1,98,086
डेटा एंट्री ऑपरेटरों को मजदूरी	-	36,03,961			-	36,03,961
ठेका मजदूरों को मजदूरी	-	11,28,746			-	11,28,746
व्यावसायिक प्रभार	-	9,10,833			-	9,10,833
परामर्शदाता पारिश्रमिक	31,45,056	52,88,994			31,45,056	52,88,994
बिजली प्रभार	79,65,765	73,84,184			79,65,765	73,84,184
कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत व अनुरक्षण	16,50,058	16,22,426			16,50,058	16,22,426
भवन अनुरक्षण प्रभार	44,17,872	28,84,226			44,17,872	28,84,226
यात्रा भत्ता (गैर-सरकारी)	90,966	29,993			90,966	29,993
अतिथि गृह अनुरक्षण	2,26,302	97,182			2,26,302	97,182
कंप्यूटर का अनुरक्षण	11,21,931	8,37,141			2,26,302	8,37,141
वाहनों का अनुरक्षण	1,00,71,787	68,21,865			1,00,71,787	68,21,865
अनियत चालक को मजदूरी	22,97,635	21,85,578			22,97,635	21,85,578
डाक व तार	6,08,023	6,96,630			6,08,023	6,96,630
टेलीफोन प्रभार	25,41,456	29,53,737			25,41,456	29,53,737
परिवहन व वाहन भाड़ा प्रभार	7,34,354	3,97,833			7,34,354	3,97,833
पहरा व निगरानी	-	97,58,818			-	97,58,818
मुद्रण व लेखन- सामग्री	27,02,429	26,47,822			27,02,429	26,47,822
कार्यालय उपभोज्य/ सामग्रियाँ	5,83,976	4,14,099			5,83,976	4,14,099
यात्रा भत्ता (बोर्ड के सदस्य)	2,05,914	5,70,614			2,05,914	5,70,614



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अनुसूची - 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बोर्ड के सदस्यों की बैठकों पर व्यय	12,63,267	2,47,949			12,63,267	2,47,949
आतिथ्य प्रभार	20,75,661	14,68,380			20,75,661	14,68,380
प्रेस विज्ञापन	6,35,368	4,13,232			6,35,368	4,13,232
संगोष्ठी / बैठकें	26,96,385	28,90,677			12,63,267	28,90,677
अकस्मिक व्यय	28,30,333	20,61,313			28,30,333	20,61,313
बैंक प्रभार	50,500	1,70,662			50,500	1,70,662
कानूनी प्रभार	18,02,851	9,82,964			18,02,851	9,82,964
हिन्दी शिक्षण योजना	1,47,543	1,21,993			1,47,543	1,21,993
पत्र-पत्रिकाएं व संदर्भ पुस्तिकाएँ	8,85,427	2,59,311			8,85,427	2,59,311
जल प्रभार	16,02,528	-			16,02,528	-
पुस्तकालय अनुरक्षण - पत्र-पत्रिकाएँ आदि	23,43,064	-			23,43,064	-
दलाली व कमीशन	-	-			-	-
कर व दर (स्थानीय प्राधिकरण) व पंजीकरण आदि	23,87,941	30,04,231			23,87,941	30,04,231
भवन, उपकरण एवं विभागीय वाहन पर बीमा	9,83,070	16,34,311			9,83,070	16,34,311
गृह व्यवस्था प्रभार	-	-			-	-
मानदेय (गैर-सरकारी)	-	-			-	-
अनुषंगी लाभ	1,46,880	1,33,989			1,46,880	1,33,989
लेखा परीक्षा शुल्क	-	-			-	-
संयंत्र एवं मशीनरी का अनुरक्षण	-	-			-	-
संसदीय समिति पर व्यय	3,32,734	12,000			3,32,734	12,000
सदस्यता/प्रतिधारकता/ अभिदान	1,66,440	6,39,301			1,66,440	6,39,301
ख. भत्ते व बोनस (प्रशासनिक व्यय)		1,77,06,680				1,77,06,680
महायोग - क + ख	6,56,88,160	9,93,09,497	-	-	6,56,88,160	9,93,09,497

अनुसूची - 22 : योजना स्कीम/ घटक के अधीन व्यय (राजस्व)						
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय	12,11,33,915	9,53,05,449	15,15,75,000	37,35,00,000	27,27,08,915	46,88,05,449
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय - एसएपी	80,00,000	1,03,90,736	-	-	80,00,000	1,03,90,736
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय - टीआईईएस	-	58,10,197	-	-	-	58,10,197
योग	12,91,33,915	11,15,06,382	15,15,75,000	37,35,00,000	28,07,08,915	48,50,06,382

अनुसूची - 23 : भारत सरकार को प्रतिदेय						
भारत सरकार को प्रतिदेय अनुदान राशि	-	-	32,50,000	-	32,50,000	-
भारत सरकार को प्रतिदेय अनुदान पर ब्याज राशि	44,16,361	1,83,76,487	-	-	44,16,361	1,83,76,487
योग	44,16,361	1,83,76,487	32,50,000	-	76,66,361	1,83,76,487

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2021-22 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष				0
क) हस्तगत रोकड				
मुख्य कार्यालय	12129	0	12129	0
फील्ड कार्यालय			0	0
ख) मार्गस्थ रोकड		0	0	0
ग) बँक शेष			0	0
i) चालू खाते में			0	0
मुख्य कार्यालय	570496140	22325534	592821674	603473770
फील्ड कार्यालय	7907780	4668507	12576287	6617243
ii) जमा खाते में				0
iii) बचत खाते में - फील्ड	10184		10184	10001
iv) फ्लेक्सी खाते में			0	0
मुख्य कार्यालय		0	0	0
फील्ड कार्यालय			0	0
फ्लेक्सी खातों में			0	0
II. प्राप्त अनुदान			0	0
सामान्य निधि			0	0
क) सहायता अनुदान (ओएनईआर)	61100000		61100000	100000000
ख) सहायता अनुदान (एनईआर)	56900000		56900000	67900000
ग) पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (ओएनईआर)	5000000		5000000	5000000
घ) पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (एनईआर)	5000000		5000000	100000
ङ) सहायता अनुदान - वेतन (ओएनईआर)	1248100000		1248100000	1132000000
च) सहायता अनुदान सामान्य (ओएनईआर) स्कीम	110000000		110000000	110000000
छ) सहायता अनुदान स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)	8000000		8000000	8000000
ज) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी (ओएनईआर)		77000000	77000000	240000000
झ) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी एससी उप-योजना		8250000	8250000	33000000
ञ) सहायता अनुदान (टी.ए.एस.पी)		49575000	49575000	64000000
ट) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी (एनईआर)		20000000	20000000	40000000



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

प्राप्तियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
III. निवेशों पर आय				0
IV. प्राप्त व्याज				0
क) बँक जमा पर				0
ख) ऋण, अग्रिम आदि - साटॉफ	388982			799859
ग) बचत बँक खाते पर		743	743	1239
घ) फ्लेक्सी खाते पर	9875570	1170716	11046286	17972591
ङ) बचत बँक खाता दांडिक व्याज पर		0		222
च) जमा पर व्याज (वैट)		0		0
V. अन्य आय				0
क) आई ई बी आर (कॉफी एवं अन्यो का मूल्य)	69717323	0	69717323	53986099
ख) बिक्री व सेवाओं से आय	27547863	0	27547863	60196362
ग) उधार बिक्री (वसूली)	15684902	0	15684902	0
घ) योजना (आई ई बी आर)		0		0
ङ) किराया	21608034	0	21608034	19988374
च) अन्य अनुदान व सहायता	800000		800000	14914931
छ) विविध प्राप्तियाँ	1061238		1061238	3037007
ज) अन्य	723886822	10000749	733887571	404741
VI. उधार में लाए गए				0
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ				0
क) एनईआर बाजार समर्थन - विक्रय वसूली		14164448	14164448	7855351
ख) वेतन बिल वसूलियाँ	106799600	0	106799600	108170526
ग) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम	2628304		2628304	960447
घ) स्टॉफ को ऋण व अग्रिम	588530	0	588530	566163926
ङ) निधि अंतरण	169833328		169833328	185661127
च) अकार्यान्वित ईएफटी/ डीडी/ चेक का विपर्यय	2813603	1515195	4328798	185571
छ) अन्य आईईबीआर निधियों का अंतरण				0
ज) देनदारियाँ व प्रावधान	31396364		31396364	34621211
योग	3257156696	208670892	3465438606	3485020598

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2021-22 के लिए समेकित प्राप्ति और अदायगी लेखा

(₹ में)

अदायगियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. व्यय			0	
क) स्थापना व्यय	1,31,30,63,676		1313063676	1,23,33,82,771
ख) प्रशासनिक व्यय	6,67,76,227		66776227	10,29,10,788
II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधि के लिए किए गए भुगतान				-
क) टीआईईएस				58,10,197
ख) स्कीम व्यय	13,94,57,094	17,26,34,475	312091569	34,91,15,901
ग) स्टाफ़ को ऋण व अग्रिम				61,29,77,892
घ) बोर्ड की पेंशन निधि				-
ङ) स्वच्छता कार्य योजना	80,43,263		8043263	1,09,52,883
च) पूर्वोत्तर एनईआर				3,77,92,742
छ) बाज़ार समर्थन (एनईआर)		1,47,80,805	14780805	86,91,338
III. किए गए निवेश एवं जमा				-
IV. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर व्यय				-
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	2,81,85,944			5,45,09,077
V. अधिशेष रकम/ ऋणों की वापसी				-
क) अनुपयोग सरकारी अनुदान की वापसी				5,27,14,000
ख) एनईआर अनुदान				-
ग) एस सी उप-योजना अनुदान				3,30,00,000
घ) टी ए एस पी				5,02,78,571
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)				-
VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)				-
क) भारत सरकार को अनुपयोगित अनुदान की वापसी	2,37,40,591	32,50,000	26990591	35,00,000
ख) प्रेषण - वेतन बिल वसूलियाँ	10,65,85,759		106585759	10,81,17,307
ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि	73,52,60,009			7,74,095
घ) स्टाफ़ अग्रिम आदि				-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अदायगियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ड) अकार्यान्वित ई एफ टी/डीडी/चेक (विपर्यय)		4,81,341	481341	4,17,72,207
च) फ्लेक्सी पर टी डी एस		4,04,741	404741	-
छ) अन्य प्राप्ति व अदायगी	3,79,490	1,12,37,396	11616886	11,65,508
ज) निधि का अंतरण	22,73,79,086		227379086	16,43,93,752
झ) ईएमडी				-
ञ) अन्य अनुदान एवं सहायता	26,67,823		2667823	77,53,425
VIII. अंत शेष				-
क) हस्तगत रोकड (मुख्य कार्यालय)				-
ख) हस्तगत रोकड (फील्ड कार्यालय)				-
ग) मार्गस्थ रोकड				-
IX. बकि शेष				-
i) चालू खाते में				-
क) मुख्य कार्यालय में	60,40,41,074	23,72,257	606413331	59,28,31,858
ख) फील्ड कार्यालय में	15,76,660	35,09,877	3509877	1,25,76,286
ii) जमा खाते में				-
iii) बचत खाते में - क्षेत्र				-
iv) फ्लेक्सी खाते में				-
क) मुख्य कार्यालय में				-
ख) फील्ड कार्यालय में				-
योग	3,25,71,56,696	20,86,70,892	3465827588	3,48,50,20,598

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2021-22 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
क) हस्तगत रोकड	170	170	क) स्थापना व्यय	773550054	764075496
ख) बँक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		8900031
i) चालू खाते में			ग) नई पेंशन योजना भुगतान	37182750	21716982
ii) जमा खाते में	604848902	542622785	घ) भविष्य निधि अग्रिम		
iii) बचत खाते में	12781732	106582149	ङ) भविष्य निधि अंतिम निकासी	53056000	56618000
iv) फ्लेक्सी खाता			च) भविष्य निधि /अन्य निधियों का अंतिम निपटान	35673102	38110991
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों में से कृत भुगतान		
III. सामान्य निधि			क) योजना व्यय/ अन्य व्यय		
क) भारत सरकार से योजना		0	III. कृत निवेश एवं निक्षेप		
ख) भारत सरकार से गैर-योजना	837000000	709023990	IV. निर्धारित परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर व्यय		
ग) सहायता अनुदान			क) निर्धारित परिसंपत्तियों का विक्रय		
घ) शुल्क व अभिदान			ख) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर व्यय		
IV. प्राप्त व्याज			V. अधिशेष धन/ ऋणों का प्रतिदाय		
क) बँक जमा पर			क) भारत सरकार को		
ख) बचत बँक खाते में	33633742	46845787	ख) अन्य अदाताओं को		
ग) फ्लेक्सी खाता	1632241	949292	ग) कॉफी बोर्ड प्रदेय का प्रेषण		
V. अन्य आय			घ) सोसाईटी के प्रदेय का प्रेषण		
कॉफी बोर्ड पूल निधि विपणन लेखा			VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) अन्य आय / सा.ज. परिपक्वता			क) अंतिम निपटान जि एस एल आई	2525489	2699926
ख) भवन की मरम्मत व अनुरक्षण			ख) धन प्रेषण/ वेतन बिल वसूलियाँ	364950	
ग) अभिदान एवं प्रीमियम	68184090	70563939	ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि		363525
घ) भविष्य निधि अग्रिम की वापसी	177775	358825	घ) विविध	533	



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ड) प्रत्याहृत राशि / सरकारी / सोसाईटी बकाया वसूली	1126282		ड) अन्य भुगतान		
च) अन्य प्राप्तियाँ	465222		च) सरकार, समिति बकाया से अपहृत/ वसूली की राशि का प्रेषण		
VI. कर्मचारी अंशदान (नई पेंशन योजना)			छ) प्रत्यावर्तन के लिए टी डी एस फ्लेक्सी		
	0	523135	VIII. अंत शेष		
VII. कोड़ अनर्थ प्राप्तियाँ (विवरण दें)	37231056	10918910	क) हस्तगत रोकड	170	170
क) एककों से अंतरित प्राप्तियाँ	0	11117461	ख) मार्गस्थ रोकड		
ख) एल आई सी द्वारा प्राप्त निपटारा			ग) बँक शेष		
ग) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम			i) चालू खाते में		
घ) प्रत्यावर्तन के लिए टी डी एस फ्लेक्सी	2645047	2599311	ii) जमा खाते में	614150990	604848902
			iii) बचत खाते में	83222221	12781732
			iv) नम्य खाते में		
योग	1599726258	1502105754	योग	1599726258	1502105754

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2021-22 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

प्राप्ति	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादन समिति	लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
I. अथ शेष							
सामान्य निधि							
क) हस्तगत रोकड				170			170
ख) बँक शेष							
i) चालू खाते में							
ii) जमा खाते में	247732871	2116031	355000000				604848902
iii) बचत खाते में	2367521	1152022	6859669	18923	559505	1824091	12781732
iv) फ़्लेक्सी खाता							
II. प्राप्त अनुदान							
III. सामान्य निधि							
क) भारत सरकार से योजना							0
ख) भारत सरकार से (लेखा)	837000000						837000000
ग) सहायता अनुदान							
घ) शुल्क व अभिदान							
IV. प्राप्त ब्याज							
क) बँक जमा पर							
ख) बचत बँक खाते में	14346487	116600	19170655				33633742
ग) फ़्लेक्सी खाते में	648427	114779	797687		15186	56162	1632241
V. अन्य आय							
कॉफी बोर्ड पूल निधि विपणन लेखा							
क) अन्य आय / सा.ज. परिपक्वता							
ख) भवन की मरम्मत व अनुरक्षण							
ग) अभिदान एवं प्रीमियम			67817990			366100	68184090



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

प्राप्ति	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
घ) सेवा निवृत्ति लाभ / सोसाईटी बकाया वसूली	1126282						1126282
घ) भविष्य निधि अग्रिम का वापसी			177775				177775
ड) प्रत्याहृत राशि	465222						465222
च) अन्य प्राप्तियाँ / फ़्लेक्सी							0
VI. कर्मचारी अंशदान (नई पेंशन योजना)		37231056					37231056
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ (विवरण दें)							0
क) एककों से अंतरित प्रप्तियाँ							
ख) प्रत्यावर्तन के लिए टी डी एस फ़्लेक्सी							
ग) एल आई सी द्वारा प्राप्त निपटारा						2645047	2645047
घ) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम							
योग	1103686810	40730488	449823776	19092	574691	4891400	1599726258

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2021-22 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

अदायगी	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
I. व्यय							
क) स्थापना व्यय (पेंशन भुगतान)	773550054						773550054
ख) प्रशासनिक व्यय							0
ग) पेंशन भुगतान (एनपीएस न्यास खाते में प्रेषण)		37182750					37182750
घ) भविष्य निधि अग्रिम							0
ङ) भविष्य निधि अंतिम निकासी			53056000				53056000
च) भविष्य निधि/ अन्य निधियों का अंतिम निपटान			35673102				35673102
II. कृत निवेश एवं निक्षेप							
III. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय							
क) अचल परिसंपत्तियों की क्रय							
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय							
IV. अधिशेष धन/ ऋणों का प्रतिदेय							
क) भारत सरकार को							
ख) अन्य अदाताओं को							
ग) कॉफी बोर्ड के देय का प्रेषण							
घ) सोसाईटी देय का प्रेषण							
V. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)							
क) अंतिम निपटान						2525489	2525489
ख) धन प्रेषण/ वेतन बिल वसूलियाँ						364950	364950
ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि							0



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

(₹ में)

अदायगी	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
घ) विविध			266			266	533
ड) सेवा निवृत्ति लाभ/ सोसाईटी से वसूली							
च) फ्लेक्सी पर टी डी एस (प्रत्यावर्तित किया जाना है)							
छ) उप-कार्यालयों द्वारा प्रतिदाय योग्य अन्य भुगतान							
VI. अंत शेष							
क) हस्तगत रोकड				170			170
ख) बैंक शेष							
i) चालू खाते में							
ii) फ्लेक्सी खाते में							
iii) जमा खाते में	261918359	2232631	350000000				614150990
iv) बचत खाते में	68218397	1315107	11094409	18923	574691	2000695	83222221
योग	1103686810	40730488	449823776	19092	574691	4891400	1599726258

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

अनुसूची- 24- सार्थक लेखांकन नीतियाँ :

1. कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम (1942 की धारा VII) के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सरकार ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित अनुमोदित योजना स्कीम के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से धनराशि निर्गत की गई है।
2. वर्ष 2017-18 से सरकार ने योजना/ गैर-योजना व्यय को पूंजी व राजस्व वर्गीकरण में प्रतिस्थापित किया। तदनुसार, (1) योजना अनुदान (2) सब्सिडी अनुदान (3) अक्षय निधियाँ आदि शीर्षों के अधीन लेखाओं को समाकलित किए गए थे। तुलन पत्र के एक भाग की अनुसूची-8 के अंतर्गत खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण दिया गया है।
3. भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का लेखांकन नकद/वास्तविक आधार पर किया जाता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप “सामान्य लेखा प्रारूप समिति” में उपचित आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
4. जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक मदों को सामान्य लेखा प्रारूप में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए पुनः समूहित किया गया है। बोर्ड द्वारा संचालित कुछ निधियाँ जो सामान्य निधि का भाग नहीं होती हैं, उन्हें भी प्रत्येक मामले में प्राप्ति और अदायगी लेखा तैयार करने के बाद लेखाओं में प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, सामान्य लेखा प्रारूप में दिए गए अनुसार, उन्हें तुलन पत्र तथा अनुसूचियों में चिह्नित निधियों के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।
5. **पेंशन निधि** : को सामान्य निधि तथा पूल निधि दोनों के अंशदान द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसलिए, इसे सामान्य निधि में शामिल नहीं किया गया है। देश भर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा सिंडिकेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से बोर्ड, पेंशन संवितरित करता है। कॉफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पस निधि का निवेश किया जा रहा है। इस निवेश से ब्याज को पेंशन के अंश के भाग के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा शेष पेंशन का भुगतान सहायता अनुदान - वेतन लेखा शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से भुगतान किया जाता है।
6. बोर्ड में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम के अधीन कॉफी बोर्ड कर्मचारी अंशदायी पेंशन निधि प्रचालित की गई है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डॉ. अम्बेडकर वीथी शाखा, बंगलूरु में अलग से खाता संख्या एस बी 54044625170 खोली गई है और इसकी लेखा चिह्नित अक्षय निधि के अधीन दिखाई गई है।
7. **भविष्य निधि** :
 - (क) कॉफी बोर्ड में भविष्य निधि लेखा का कार्य 22 दिसंबर 2007 से संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमवाली, 1960 के अनुसार होता है। इससे संबंधित सभी लेने-देने बैंक के माध्यम से ही किया जाता है।
 - (ख) भविष्य निधि खाता संख्या को विधिवत दर्शाते हुए व्यक्तिगत अभिदातावार लेजर कार्ड का अनुरक्षण किया जाता है।
 - (ग) विभिन्न शेषों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अभिदाताओं के कार्डवार विवरण मुख्य कार्यालय में अनुरक्षित सामान्या भविष्य निधि लेखा का विस्तृत शीट में प्रविष्ट किया जाता है।
8. अचल परिसंपत्तियों का अर्जन/निर्माण की लागत से, संचयित मुल्यहास को विधिवत घटाकर मूल्यांकन किया जाता है।
9. परिसंपत्तियों का मुल्यहास निम्नलिखित दरों पर होता है क्योंकि कॉफी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (29) के अधीन आयकर, क्षेत्र से पूर्णतः छूट प्राप्त हुई है तथा बोर्ड, किसी भी कर निर्धारण के लिए दायी नहीं है। परिसंपत्तियों का मुल्यहास निम्नलिखित दरों पर होता है :



परिसंपत्ति की प्रकृति	मुल्यहास की दर
भूमि	शून्य
भवन	2% प्रति वर्ष - सीधी रेखा पद्धति
कॉफ़ी बागान	2% प्रति वर्ष - सीधी रेखा पद्धति
संयंत्र एवं मशीनरी	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
फर्नीचर एवं फ़िक्सचर्स तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
पुस्तकालय के पुस्तकें	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
आईटी हार्डवेयर	50% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
₹5000/- से कम मूल्य के आईटी सॉफ़्टवेयर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	100% - घटना वर्ष के दौरान
आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष	इनका मुल्यहास नहीं किया गया है।

आई. टी सॉफ़्टवेयर को छोड़कर द्वितीय अर्ध वर्ष के लिए परिसंपत्तियों के जोड़ों के अवमूल्यन निर्धारित दर के आधे दर पर प्रभारित किया जा रहा है।

10. दिनांक 01 अप्रैल 2004 से प्रभावी का-ज्ञा सं. जी.20008/16/2003-बीओए/466, दिनांक 02.06.2004 के निदेशानुसार, योजना क्रियाकलापों के तहत क्षेत्र कार्यालयों में विकसित आईईबीआर को मुख्य कार्यालय में अंतरित किया गया और सरकारी अनुदान से अधिक व्यय होने पर इसका आंशिक रूप में उपयोग किया गया है।
11. **उपभोज्य स्टॉक का मूल्यांकन** : प्रोन्नयन एककों द्वारा फार्म सं. 20 में दिए गए स्टॉक लेखा संबंधी मूल्यों को इति स्टॉक मूल्य के रूप में दिखाया गया है। ब्रोका ट्राप्स, फेरोमोन ट्राप्स, प्रलोभन आदि के इति स्टॉक का मूल्यांकन, खरीद मूल्य में लेखांकित किया गया है। कॉफ़ी बीज एवं एस्टेट उत्पादों के इति स्टॉक का मूल्यांकन, औसत बाजार मूल्य में मूल्यांकित किया गया है।
12. **कर्मचारी लाभ** :
 - (क) यद्यपि बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, फिर भी परिपत्र सं.प्रशा/स्था- 1/2007-08/6117, दिनांक 31.03.2008 के तहत जारी निम्नलिखित नियम 22 दिसंबर 2007 से कॉफ़ी बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर प्रयोज्य हैं।
 - i. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964
 - ii. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965
 - iii. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960
 - iv. वर्ष 1959 से नियुक्त केंद्रीय सरकार के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश तथा
 - v. स्टाफ कार पर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

- (ख) कॉफी नियम 1955 के नियम 31(क) के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों के लिए यथा प्रयोज्य सीसीएस पेंशन नियम।
- (ग) बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार गृ.नि.अ, स.ख.अ, वैयक्तिक कंप्यूटर अग्रिम, आदि जैसे सभी हितलाभ दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, इन अग्रिमों पर ब्याज दर प्रभारित किए जाते हैं।
13. **आयकर से छूट** : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29क) के अनुसार, आयकर के कार्य क्षेत्र से कॉफी बोर्ड को पूर्णतः छूट प्राप्त है।

वित्त निदेशक



अनुसूची 25 - आनुषंगिक देयताओं को शामिल कर लेखाओं पर टिप्पणियाँ

सामान्य निधि :

1. वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार ने बोर्ड को ₹164.87 करोड़ आबंटित किया गया था। धनराशि को निम्नानुसार रिलीज़ किया गया था :-

i	सहायता-अनुदान - ओएनईआर (प्रशा)	6.11
ii	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन - ओएनईआर	0.50
iii	सहायता-अनुदान - एनईआर	5.69
iv	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन - एनईआर	0.50
v	सहायता अनुदान - सब्सिडी - ओएनईआर	7.70
vi	सहायता अनुदान - सब्सिडी - एनईआर	2.00
vii	एस सी उप-योजना - सब्सिडी	0.82
viii	सहायता अनुदान - सामान्य (स्कीम)	11.00
xi	सहायता अनुदान - वेतन	124.80
x	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी)	4.95
xi	सहायता अनुदान - स्वच्छता कार्य योजना	0.80
	योग	164.87

वर्ष 2021-22 के लिए 32.50 लाख रुपयों का अतिरिक्त एस.सी. उप योजना अनुदान सब्सिडी राशि भारत सरकार को वापस कर दिया गया है।

2. वर्ष 2021-22 के दौरान, अनुसंधान/विस्तार एककों से प्राप्त ₹46,94,302/-मूल्य के कॉफी उत्पाद 13540 किलो को प्रोन्नयन बिक्री केंद्रों में आबंटित किए गए। कॉफी के इस मूल्य को “आईईबीआर योजना” समायोजित करने द्वारा लेखा बही में प्रविष्ट किया गया है।

क. बंद प्रोन्नयन एककों के ₹2,40,181/- का बही शेष तथा ₹2,60,745/- का मार्गस्थ रोकड को अनुसूची-11 में दिखाया गया है, क्योंकि ये रकम 20 वर्षों से भी ज्यादा पूर्व अवधि के थे, जिनका समाधान नहीं किया जा सका। कॉफी नियमावली/सामान्य निधियों की नियमावली का विधिवत पालन करते हुए इसे आगे की वार्षिक लेखा में ‘अप्रतिलभ्य शेष - बट्टे खाते में डाला गया’ के अधीन लेखांकित करने का कार्य जारी है।

ख. उप निदेशक (अ), चुंडेल को प्राप्त अग्रदाय राशि ₹5,18,004/- से संबंधित विस्तृत लेखा प्राप्त नहीं हुई है। उक्त राशि को वर्ष 2012-13 के दौरान उचंताधीन रखा गया था, उसमें से ₹28,000/-की राशि वसूल की गई थी और निवल शेष ₹4,90,004/-उचंत के तहत जारी रखी है। सतर्कता विभाग द्वारा मामले पर जाँच-पड़ताल के बीच में, दिनांक 29.03.2017 को संबंधित अधिकारी की मृत्यु हो गई और तदनंतर मामला उचित आदेश के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजा गया है।

3. वित्तीय विवरण के तुलन पत्र, आय व व्यय की लेखा तथा संगत अनुसूचियों से संबंधित आँकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

4. बोर्ड द्वारा निम्नलिखित खाताओं का संचालन किया जा रहा है, जो सामान्य निधि अनुदान का भाग नहीं है। अतः प्राप्तियाँ एवं भुगतान को सामान्य निधि में जोड़ दिया गया है और चिह्नित अक्षय निधियों की अनुसूची-3 के तहत तुलन पत्र में सम्मिलित किया गया है।
(1) पेंशन निधि खाता (2) नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) खाता (3) भविष्य निधि खाता (4) संपादकीय समिति खाता (5) कॉफी बोर्ड हितकारी निधि खाता (6) कॉफी बोर्ड जीएसएलआई खाता।
5. विशेषज्ञों की समिति, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लेखाओं के सभी अनुसूचियों के प्रत्येक मदों को पुनःसमूहित किया गया है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ नए लेखा शीर्ष सृजित किए गए तथा उनका उपयुक्त वर्गीकरण किए गए।
6. कॉफी नियमावली 1955 के नियम 35 तथा भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा नई पेंशन निधियों के अधीन धारित बोर्ड के अधिशेष निधियों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जा रहा है। सामान्य लेखा प्रारूप में निहित अनुदेशों के अनुसार, निवेशों को अनुसूची-9-चिह्नित निधियों से निवेश के अंतर्गत दिखाया गया है।
7. ब्याज के अर्जन के लिए सहायता अनुदान के अधीन बोर्ड के चालू खाताओं के बैंक शेष, फ्लेक्सी लेखा को अंतरित कर सहबद्ध किया गया है।
8. भारत सरकार को देय ब्याज सहित कॉफी विकास ऋण के लगभग ₹24.00 करोड़ की राशि, दिनांक 08.06.2005 के आदेश सं.11/8/2004 प्लान्ट-बी के अनुसार बढ़े खाते में डाल दी गई थी। ब्याज अधित्याग करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। इसलिए, यह राशि लेखा में दर्शाई गई है तथा “भारत सरकार को ब्याज की वापसी हेतु प्रावधान” के अधीन लाई गई है।
9. **कॉफी बागानों का मूल्यांकन:**

कॉफी बोर्ड ने विभिन्न स्थानों में स्थित अपने अनुसंधान/विस्तार फार्मों में कॉफी बागान विकसित किए हैं। विभिन्न वर्षों में ब्लॉकों में इनका रोपण किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर फलदायी पौधों के निवेश की लागत का लेखांकन किया गया है। लेखांकन मानक 10 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, फलदायी कॉफी पौधों पर निवेशित लागत को अद्यतन किया गया है तथा निवेश का लागत, अवमूल्यन के साथ-साथ नष्ट का भी लेखांकन किया गया है।

कॉफी के दो प्रकार पाए जाते हैं; जैसे (1) अरेबिका एवं (2) रोबस्टा। अरेबिका के औसतन 3500 पौधे/हे. तथा रोबस्टा के 1250 पौधे/हे. रोपित किए गए हैं। अरेबिका व रोबस्टा की परिपक्वता/फलदायी (रोपण के बाद पाँचवें वर्षों तक) होने तक निवेशी लागत प्रति हेक्टेयर के लिए क्रमशः ₹3,10,000/- तथा ₹2,45,000/- अनुमानित किया गया है। तदनुसार, प्रति पौधे पर निवेश की लागत अरेबिका तथा रोबस्टा के लिए क्रमशः ₹88.57 एवं ₹196 हो जाता है। इस आँकड़े के आधार पर, निवेश लागत की गणना की गई है तथा अनुसूची - 8 में लेखांकित किया गया है।

फलदायी कॉफी पौधों पर मूल्यहास: सामान्यतः, कॉफी पौधों का फलदायी की अवधि 50 वर्ष माना जाता है। जीवित फलदायी कॉफी पौधे वर्ष 1990 की अवधि के हैं, लगभग 25 वर्ष (जीवितावधि का 50%) पूरी की गई है, आगे और 25 वर्ष की फलदायी की प्रतीक्षा की गई है। अतः 01.04.2018 की अवधि तक एक बार 50% की दर पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है। इसके आगे, प्रति वर्ष 2% की दर पर मूल्यहास का निर्धारित कर प्रभारित किया जाएगा।



फलदायी पौधों से नष्ट: निवेश लागत (वास्तविक) के आधार पर फलदायी पौधों की हानि की गणना की जाती है।

10. **आर्थिक रूप से मूल्यवानवृक्ष:** बोर्ड के अनुसंधान/ विस्तार फार्मों में उगाए गए/ रोपित आर्थिक रूप से मूल्यवान पेड़ों का मूल्य वर्ष 2012-13 में लेखांकित किए गए थे जिनका अद्यतन कर अनुसूची-8 में लेखांकित किए गए हैं। राजस्व/वन विभाग के द्वारा दिए गए स्थानीय मूल्यों के अनुसार इन पेड़ों की मूल्य-गणना की गई है। वास्तविक निवेश लागत के आधार इन पेड़ों के नष्ट की गणना की गई है। इन पर मूल्यहास प्रयोज्य न होने के कारण उसकी गणना नहीं की गई है।
11. वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, बेंगलूरु द्वारा जारी नोटिस के आधार पर बेंगलूरु विकास प्राधिकरण ने ₹1.68 करोड़ ब्याज के साथ ₹1.04 करोड़ की माँग प्रस्तुत की तथा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को उतनी रकम रोक लगाने का निदेश दिया। बोर्ड ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। मामला लंबित है।
12. मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए ₹1.60 लाख के परिलब्धि कर और ₹0.30 लाख के ब्याज के भुगतान के लिए आयकर अधिकारी, बेंगलूरु ने नोटिस जारी किया और सूचित किया था कि कर निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए ₹3.76 लाख (टीडीएस) की प्रतिदेय राशि को उत्तराशि से समायोजित किया जा रहा है। हालांकि, बोर्ड ने अपीलीय आयकर अधिकारी, बेंगलूरु के समक्ष एक अपील ज्ञापन प्रस्तुत किया है। मामला लंबित है।
13. कॉफी ऋण राहत पैकेज (सीडीआरपी) के अधीन मीयादी ऋण प्राप्त करने वाले 73 कॉफी उपजकर्ताओं के दावों के निपटान से संबंधित मामले केरल एवं कर्नाटक के न्यायालयों में लंबित हैं। अतः, ब्याज अर्जन के लिए ₹6.29 करोड़ की रकम फ्लेक्सि-जमा खाते में जमा की गई है।
14. **सेवा-निवृत्ति लाभों का लेखांकन - वास्तविक मूल्यांकन :** - लेखा परीक्षा अनुवीक्षण एवं लेखांकन मानक 15 की शर्तों के अनुसार, वास्तविक आधार पर सेवा-निवृत्ति लाभ व देयताओं के मूल्यांकन के कार्य का बाह्य-स्रोत किया गया तथा इसे मेसर्स ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेंट्स, मुंबई को सपिा गया। इसका कार्य प्रगति पर है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे लेखा में सम्मिलित किया जाएगा।
15. अनुसूची संख्या 11(4) के तहत बकि शेष में शामिल हैं: -

₹. लाख . में

1. कॉफी ऋण राहत पैकेज (सीडीआरपी) 628.80
16. दिनांक 08.06.2017 को आयोजित बोर्ड की 202वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि 20 हे. विस्तार तक के जोतों के कॉफी उपजकर्ताओं को उनके लिए वर्तमान में प्रयोज्य सब्सिडी 25% से 50% तक बढ़ाने तथा जल आवर्धन के अधीन सब्सिडी दावों को ₹2.50 लाख की वर्तमान अधिकतम सीमा से ₹ 5.00 लाख तक बढ़ाया जाए। पत्र सं. वि/यो व स कक्ष /68/2017-18/192। दिनांक 18.07.2017 द्वारा संकल्प आवश्यक निर्देशन हेतु मंत्रालय को अग्रप्रेषित किया गया है। प्रवर्धित दर कार्यान्वित नहीं है।
17. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने, मंत्रालय एवं कॉफी बोर्ड के बीच समान शेयर के आधार पर ₹11.40 करोड़ के परिव्यय के साथ 2017-18 के दौरान, निर्यात हेतु व्यापार अवसरचना स्कीम (टीआईईएस) के अधीन कॉफीगुणता एवं निर्यात प्रमाणन हेतु प्रयोगशाला अवसरचनाके संस्थापन परियोजना के लिए (29 दिसंबर 2017 को) अनुमोदन दिया। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹2.85 करोड़ तथा 2018-19 को ₹2.85 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल ₹5.70 करोड़ की राशि बोर्ड को प्राप्त हुई है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

16. बोर्ड के सदस्यों ने बोर्ड के मु.का.अ. एवं सचिव को कॉफी बोर्ड के लेखा विभाग द्वारा, लेखाओं में किए गए संभाव्य परिवर्तन अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापाल द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

वित्त निदेशक



न्यायालय में लंबित मामलों की सूची - सर्वोच्च न्यायालय - (सेवा संबंधी मामलों की संख्या - 5)

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति
1.	श्री टी. एन. लक्ष्मीनारायणा, कल्पेट्टा व अन्य 24 एसएलपी सं. 3063/2007 सीए सं. 2964/2012 सीजीएससी, सर्वोच्च न्यायालय	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतनमान के संशोधन पर अनुग्रहपूर्वक लाभ के भुगतान के संबंध में केरल उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील सं. 943/2006 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध बोर्ड ने एसएलपी फ़ाइल किया है। इस मामले पर 10.09.2008 को सुनवाई हुई थी। बाद में, 12.03.2012 को मामले की सुनवाई हुई थी तथा अनुमति प्रदान करते हुए उसे श्री तम्मय्या व अन्य द्वारा फ़ाइल किए गए एसएलपी सं. 11759-11765/2011 के साथ जोड़ दिया गया था। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।
2.	एसएलपी सं. 11759- 11765/2011 सीए सं. 2794-2800/2012 श्री तम्मय्या व अन्य सर्वोच्च न्यायालय	दि.1.1.1996 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (विआरएस) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुग्रह राशि के भुगतान में अंतर के संबंध में बोर्ड द्वारा फ़ाइल किया गया रिट अपील सं. 157-242/2000 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डिविज़न बेंच द्वारा पारित दि. 08.09.2010 का आदेश पर अपील करते हुए श्री तम्मय्या व अन्य ने एसएलपी दायर किया है। दि. 12.03.2012 को मामले की सुनवाई हुई थी तथा अनुमति प्रदान करते हुए उसे श्री लक्ष्मीनारायणा व अन्य द्वारा फ़ाइल किए गए एसएलपी सं. 3063/2007 के साथ जोड़ दिया गया है।
3.	एसएलपी सं. 6098-6101/2011 सीए सं. 153-157/2017 श्री पॉल रॉय व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	ऋण निरीक्षकों के संवर्ग में उनकी सेवा में प्रवेश करने की तिथि से वरीयता को सूचित करने हुए बोर्ड ने ऋण निरीक्षकों को प्रधान लिपिक के रूप में समाविष्ट करते हुए सीजीएल जारी किया था। याचिका कर्ताओं ने इस सीजीएल पर अपील दायर करते हुए रिट याचिका सं 12824/88 के तहत पारित डिविज़न बेंच के आदेश का कार्यान्वयन के लिए भी माँग की। वर्ष 1992 के दौरान, बोर्ड ने संवर्ग व भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए पूर्व प्रभाव से सहायक सचिव (अनुसचिवीय) पद के लिए पदोन्नति दी थी। लेकिन, दिनांक 30.01.96 को उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि नियमों के पूर्व प्रभावी संशोधन के लिए बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। डिविज़न बेंच के आदेश के कारण, वर्ष 1992 के दौरान की गई पदोन्नतियाँ क्रम में नहीं हैं। इससे प्रभावित पक्ष अर्थात् श्री पॉल रॉय व अन्य ने न्यायालय में रिट याचिका सं. 33105-06/97 दायर किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट अपील आदेश पर एसएलपी, अपील दायर किया गया। इस मामले पर 11.03.2011 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है। प्रतिवादी को नोटीस जारी किया गया है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

4.	एसएलपी सं. 27057/2012 सीए सं. 5516/2014 श्रीमती सुधा वी. बालिगा व अन्य दो, सर्वोच्च न्यायालय	वर्ष 1999 में याचिकाकर्ता श्री वासुदेव बालिगा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें चौथे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने 1999 में सेवानिवृत्त होने के कारण, पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनुग्रह राशि भुगतान करने का अनुरोध किया था। उनके द्वारा फ़ाइल की गई रिट याचिका स्वीकार किया गया। लेकिन बोर्ड द्वारा फ़ाइल किया गया रिट अपील सं. 2053/2006 निरस्त कर दिया गया। इसलिए, एसएलपी फ़ाइल किया गया। जब रिट याचिका लंबित था तब याचिकाकर्ता का निधन हो गया था। इसलिए, उनकी पत्नी ने प्रतिनिधित्व किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट अपील आदेश पर एसएलपी अपील दायर किया गया। मामले सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है तथा उसे अन्य अनुग्रह राशि से संबद्ध मामलों के साथ जोड़ा गया है।
5.	एसएलपी सं. 36152-54/2014 के. अब्दुल्ला, ए. के. पवित्रन व यूनियन ऑफ़ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय	अपने मूल संवर्ग से कनिष्ठ संपर्क अधिकारी के पद के निविलयन के विरुद्ध सिंगल बेंच आदेश का समर्थन करते हुए का केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2014 का रिट अपील आदेश पर बोर्ड ने अपील दायर किया। स्थगन याचिका के साथ एसएलपी फ़ाइल किया गया। दि. 20.07.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा फ़ाइल किया गया अभिवचन आवेदन स्वीकारने के लिए लंबित है। दि. 17.01.2017 की मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे सुनवाई के लिए लंबित रखा गया है।

न्यायालय में लंबित मामलों की सूची - सर्वोच्च न्यायालय - (सेवा संबंधी मामलों की संख्या - 25)

1.	रिट याचिका सं. 12614/2013 श्री वेंकट रेड्डी व बसवराज मड़िवाला कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने ग्रेड वेतन घटाने तथा प्रदत्त अतिरिक्त वेतन की वसूली संबद्ध दिनांक 15.2.2013 व 27.2013 के आदेशों को रद्द करने का निवेदन किया था। वसूली आदेश पर अंतरिम स्थगन के लिए 8 सप्ताह मंजूर किया गया था। जुलाई 2013 में बोर्ड ने इस पर आपत्ति फ़ाइल की थी। दिनांक 22.07.2013 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित रखा गया है।
2.	रिट याचिका सं. 12987- 12989/2013 वी. एम. सरस्वती कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.2.2013 के एमसीएफ़एस आदेश के अधीन अपने से कनिष्ठ पदधारियों की स्वस्थानी पदोन्नति को निरस्त करने तथा नरसीपट्टनम से सीसीआरआई में उनके समयपूर्व स्थानांतरण संबंधी दिनांक 26.04.2011 के संदेहास्पद स्थानांतरण आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया था। स्थगन आदेश नहीं मिला। जुलाई 2018 के दौरान बोर्ड ने आपत्ति दायर की थी। दिनांक 19.07.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।



<p>3. रिट याचिका सं. 23572/2014 श्री एस. कृष्णमूर्ति (सेवानिवृत्त) कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित को अकार्य दिवस मानने के संबंध में अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड का दिनांक 30.12.2008 के आदेश सं. प्रशा/स्था-1/2007-08/4159 के संबंध अभिलेख मंगवाने का अनुरोध किया। अपील तिरस्कृत करते हुए मंत्रालय ने आदेश सं. 1/1/2008/ प्लांट (बी) दिनांक 8/1/2010 जारी किया तथा प्रतिवादी को दि. 27.05.92 से बहाली की तिथि अर्थात् 08/06/1999 तक रसेवावधि" मानते हुए उनको आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए निदेश दिया। दिसंबर 2017 में आपत्ति याचिका फाइल की गई थी। दि. 08.12.2017 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।</p>
<p>4 रिट याचिका सं. 44715-16/2016 श्री एच. एस. वासु और अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ताओं (सीसीआरआई के स्थाई श्रमिक) ने माननीय न्यायालय से उनकी वरीयता के अपश्रेणीकरण को अवैध घोषित करने तथा दि. 03.08.2016 के उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने, एमटीएस संवर्ग की 34 रिक्तियों में से 2 पदों को न भरने के लिए अंतरिम आदेश निकालने का अनुरोध भी किया। इस संबंध में, नवंबर 2018 के दौरान आपत्ति याचिका फाइल की गई थी। दि. 23.09.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।</p>
<p>5. रिट याचिका सं. 2286- 2287/2017 श्री जी. आनंदा व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वरीयता सूची में सम्मिलित अन्य कर्मियों से वरिष्ठ होने के बावजूद भी एमटीएस संवर्ग के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में, नवंबर 2018 के दौरान आपत्ति फाइल की गई थी। दि. 12.02.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।</p>
<p>6. श्रीमती एम. चंद्रिका द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत अपील</p>	<p>श्रीमती चंद्रिका के अनुसूचित जनजाति होने से संबंधित उप आयुक्त जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा पारित संशोधित आदेश पर अपील दायर किया गया है। वाद-प्रतिवाद पूरा हो गया है। आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।</p>
<p>7. रिट याचिका सं. 6320/2017 श्री एम. के. रवींद्रा कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि अनुसंधान विभाग के फार्मों में कार्यरत स्थाई मजदूरों में से बहु-कार्य स्टाफ (एम टी एस) संवर्ग के पद भरते समय उनके आवेदन पर विचार किया जाए। दि.14.06.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले अगली सुनवाई के लिए लंबित है।</p>
<p>8. रिट याचिका सं. 44378/2017 श्री के. जयरामा बल्याया कर्नाटक उच्च न्यायालय</p>	<p>अनुशासनिक प्राधिकरण के पदच्युति आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तन करने से संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के आदेश पर अपील दायर किया। आपत्ति विवरण फाइल किया गया है। सूचना जारी करने हेतु 22.03.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।</p>
<p>9. रिट याचिका सं. 26026/ 2010 में रिट अपील सं. 3509/2018 श्री के. एन. हनुमंतप्पा कर्नाटक उच्च न्यायालय</p>	<p>रिट याचिका में, अनुशासनिक प्राधिकरण के पदच्युति आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तन करने से संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के आदेश पर अपील दायर किया गया था, जिसका निपटान 21.08.2018 को किया गया था, उसके बाद बोर्ड ने रिट अपील फाइल किया गया है। मामले प्रस्तुत करने व सुनवाई के लिए लंबित है।</p>



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

10.	रिट याचिका सं. 33084/2018 श्रीमती वी. एम. सरस्वती सी बी आई एवं कॉफी बोर्ड	याचिकाकर्ता ने 19.02.2014 के एफआईआर एवं सीबीआई द्वारा फ़ाइल किए गए आरोप पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रति याचिका तैयार करने हेतु वकील को सभी संगत कागज़-पत्र सपि गए हैं। दि. 09.01.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।
आंध्र प्रदेश		
11	रिट याचिका सं. 38290/2014 के. रामय्या एवं अन्य 4, तिरुमला हैदराबाद उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि वे 1989 से 1999 तक इंडिया कॉफी हाउस, तिरुमला में अनियत मज़दूरों के रूप में नियमित काम किया था। उन्होंने अगस्त 2014 से आज तक वेतन के भुगतान एवं उसी वेतन पर आईसीएच में अनियत मज़दूरों के रूप में कार्य जारी रखने हेतु बोर्ड को निदेश देने का अनुरोध किया है। इसके विरुद्ध आपत्ति फाइल की गई है। इस मामले में 12.12.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया है। अन्य संबद्ध मामलों के साथ दि.03.08.2016 को इस मामले की सुनवाई हुई तथा श्रम उपायुक्त को आईसीएच का निरीक्षण करते हुए तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। तदनुसार, श्रम उपायुक्त ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामला आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।
12	रिट याचिका सं. 28817/2015 श्री एम. रमणा व अन्य 4 हाल में, हैदराबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश पर स्थानांतरित	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि वे 1989 से 1999 तक निरंतर इंडिया कॉफी हाउस, तिरुमला में अनियत मज़दूरों के रूप में नियमित काम किया था। उन्होंने आईसीएच में अनियत मज़दूरों के रूप में कार्य जारी रखने हेतु बोर्ड को निदेश देने का अनुरोध किया। इसके विरुद्ध आपत्ति फाइल की गई है। मामले निपटान के लिए लंबित है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को अनियत मज़दूरों के रूप में जारी रखने हेतु प्रतिवादी की निदेश देते हुए दि.7.9.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अन्य संबद्ध मामलों के साथ सुनवाई हुई।
13	रिट याचिका सं. 759/2015 श्रम उपायुक्त, तिरुपति हैदराबाद उच्च न्यायालय	₹7,25,996/- के मांग किए गए बकाया मज़दूरी व दंड जमा करने का श्रम उपायुक्त का आदेश पर बोर्ड ने अपील दायर किया। आपत्ति फाइल की है। मामले निपटान के लिए लंबित है। इसे अन्य तीन रिट याचिकाओं के साथ संबद्ध किया गया है।
14	सीसी सं. 1986/15 श्री के. रामय्या एवं अन्य 4, तिरुमला हैदराबाद उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए निंदा याचिका फाइल की है कि बोर्ड अगस्त 2014 से बकाया मज़दूरी के भुगतान से संबंधित रिट याचिका सं. 38290/14 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन में असफल रहा है। अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामले निपटान के लिए लंबित है। रिट याचिका सं. 38290/2014, रिट याचिका सं. 28817/2015, रिट याचिका सं. 759/2015 जैसे तीन रिट याचिकाओं के साथ मामले को संबद्ध किया गया है।
15	रिट याचिका सं. 37336/2013 श्री कुनुकु लक्ष्मीनारायणा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष पहुँचने पर अर्थात् दि. 30.06.2013 को बोर्ड की सेवाओं से दि. 28.06.2013 की कार्यवाही के तहत निवृत्त करने पर उन्होंने आक्षेपित कर इस रिट याचिका का फाइल की है। उन्होंने 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने हेतु बोर्ड को निदेश देने की प्रार्थना की। आपत्ति विवरण फाइल की है। मामला जाँच व आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।



तमिल नाडु		
16	रिट याचिका सं. 3284/2001 एमएफए (एस आर) सं. 23678/ 2010 रिट अपील सं. 2499/2013 श्री आर. मुनस्वामी तमिल नाडु उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता श्री मुनस्वामी के एसीआई के रूप में कार्य करते थे। कॉफी स्टॉक के दुरुपयोग करने के संबंध में बोर्ड उन पर आरोप पत्र लगाया था। अतिरिक्त पूछ-ताछ के बाद, बोर्ड ने उनकी एक वेतन वृद्धि को रोक रखने के साथ ₹1,76,563.85/- की राशि की वापस करने का दंड लगाया था। भारत सरकार के समक्ष अपील फ़ाइल की थी। उसे तिरस्कृत किया था। बोर्ड/ भारत सरकार द्वारा लगाए गए दंड के विरुद्ध मुनस्वामी ने आक्षेप उठाया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23.10.2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, बोर्ड ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने पर प्राथमिकता दी। मामला आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।
17	रिट याचिका सं. 7286/2014 श्री आर. जोसफ विलियम जयकरन तमिल नाडु उच्च न्यायालय (1) यूनिनयन ऑफ इंडिया (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली (2) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (3) अध्यक्ष/ अ.प्रा., कॉफी बोर्ड (4) सचिव, कॉफी बोर्ड	याचिकाकर्ता ने प्रमाणित परमादेश की रिट या किसी अन्य प्रकार का समुचित रिट आदेश या सेदर्भ सं. 1/9/1994-प्लांट (बी) दिनांक 10/3/2004 के संबंध में प्रतिवादी-2 के अभिलेखों को माँगने का निदेश जारी करने हेतु माननीय न्यायालय से प्रार्थना की। इसके साथ ही, संदर्भ सं. प्रशा/स्था/2002-03/5790 दिनांक 27/29-01-2003 के तहत प्रतिवादी-4 के कार्यालय आदेश को समापन कर रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिवादी-3 को निदेश देने को प्रार्थित किया है। याचिकाकर्ता को बकाया वेतन, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, पेंशनरी लाभ एवं पेंशन आदी को शामिल कर सभी आर्थिक व उपस्थिति लाभ प्रदान किया जाए तथा दिनांक 03.08.1992 से 03.03.2002 तक के याचिकाकर्ता के 10 वर्षों की निलंबन अवधि को कार्य अवधि माना जाए तथा ऐसा आदेश या न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित किया जाए। आपत्ति फ़ाइल की गई। 29.11.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। मामले सुनवाई एवं निपटान के लिए लंबित है।
केरल		
18	रिट याचिका सं. 16460/2011 श्री के. के. प्रशांत, वरिष्ठ लिपिक केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने कोरापुट में उनके स्थानांतरण आदेश दि. 13.06.2011 पर आक्षेप उठाया। उन्हें दि.15.06.2011 को कार्यमुक्त किया गया था। श्री के. के. प्रशांत ने स्थगन आदेश प्राप्त किया था। दि. 01.07.2011 को स्थगन मुक्त किया गया। फ़ाइल किया गया आपत्ति विवरण निपटान हेतु लंबित है। रिट याचिका निष्फल होने के कारण आवेदन फ़ाइल करने हेतु अधिवक्ता को निदेश दिया गया है। चूँकि, उन्हें पदच्युत कर बाद में अपीलीय प्राधिकरण के आदेश पर बहाल किया गया। दि. 23.07.2013 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामला निपटान के लिए लंबित है।
19	रिट याचिका सं. 4120/2014 श्री जी. रघुनाथन (सेवानिवृत्त) केरल उच्च न्यायालय	दि. 29.08.2008 को सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता ने पेंशन का निपटान में विलंब करने हेतु बोर्ड को 18% की दर पर ब्याज के भुगतान का निदेश देने हेतु रिट याचिका दायर की थी। मामले के तथ्य अधिवक्ता को सपि गए हैं। दि.11.02.2014 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामला निपटान के लिए लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

20	रिट याचिका सं. 25402/ 2015, रिट याचिका सं. 25428/ 2015 और रिट याचिका सं. 25666/ 2015 श्री सी. के. शिवन, श्रीमती ग्लाडिस डानिएल और श्री यू. प्रसन्न कुमार केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने 37 कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों को भरने हेतु जारी की गई दि. 15.8.2015 की कार्यवाही पर आक्षेप उठाते हुए, विलयन व निविलयन के मामले में दि. 20.7.2015 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, रिट याचिकाओं का दायर किए थें। बोर्ड ने आपत्ति विवरण दायर किया है। न्यायालय ने मामले पर सुनवाई के बाद अंतिमनिपटान किया गया। 22.09.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामला सुनवाई/ निपटान के लिए लंबित है।
21	रिट याचिका सं. 36713/ 2015, रिट याचिका सं. 28342/ 2015, रिट याचिका सं. 27811/ 2015 श्री यू. पी. प्रसन्न कुमार, श्री बाबु के. दामोदरन व श्रीमती ग्लाडिस डानिएल	केरल उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों (20 पदों) को भरने हेतु दि.29.10.2015 का विज्ञापन पर आक्षेप उठाया है। बोर्ड ने आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया। न्यायालय में मामले पर सुनवाई हुई है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।
22	रिट याचिका सं. 23992/ 2016 श्री यू. पी. प्रसन्न कुमार केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने विलयन व निविलयन के संबंध में 20.7.2015 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, 20 कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों की नियुक्ति हेतु जारी 12.7.2016 की कार्यवाही पर आक्षेप उठाते हुए रिट याचिका दायर की थी। मामले के तथ्य अधिवक्ता को सपि गए हैं। मामला अगली सुनवाई के लिए लंबित है।
23	रिट याचिका सं. 2671/ 2016 कॉफी बोर्ड कर्मचारी संघ, केरल केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि व्यापार संघ अधिनियम के अधीन एक्स पी20 यानी पंजीकरण प्रमाणपत्र की वापसी या निरस्त करने से पूर्व स्थगन आदेश पारित करें। बोर्ड द्वारा आपत्ति दायर की है। दि. 26.07.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।
24	रिट याचिका सं. 15195/2013 के. अब्दुल्ला केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने अनुशासनिक कार्यवाही पर आक्षेप उठाया। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकारी के अंतिम आदेश पारित करते हुए रिट याचिका के निपटान के लिए अधिवक्ता से अनुरोध किया गया है। बोर्ड द्वारा आपत्ति फ़ाइल की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आदेश पारित होने के कारण न्यायालय से मामले के निपटान के लिए प्रार्थना की है। दि. 20.6.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी और अंतिम निपटान की गई।
25	रिट याचिका सं. 31057/06 में . फाइल किया गया रिट अपील सं. 1096/2017 पद्मनाभ पणिक्कर सेवानिवृत्त सहा.वि.अ और के. वी. राजगोपालन, केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने 15.2.2006 के स्थान पर 29.10.2001 के प्रभाव से ए.सी.पी की माँग करते हुए 1.11.2016 के रिट याचिका आदेश पर आक्षेप उठाया। मामले के तथ्य अधिवक्ता को सपि गए हैं। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।



न्यायालय में लंबित मामलों की सूची - (अन्य मामलों की संख्या - 24)

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति
1	सी. आर. सं. 13/2013 द एस्टेट स्टातफ र्स यूनियन ऑफ इण्डिया, चिक्कमगलूरु, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, बेंगलूरु	मज़दूरों ने कॉफ़ी बोर्ड के समूह र्घ“ कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतनमान के समान केंद्रीय मज़दूरी के भुगतान के लिए अनुरोध किया है। बोर्ड ने आपत्ति विवरण फ़ाइल किया है। बोर्ड की साक्ष्य प्रस्तुति पूरी हुई है। वाद-प्रतिवाद व निपटान के लिए लंबित है।
2	सी. आर. सं. 17/2013 कर्नाटक एस्टेट लेबर यूनियन, जयपुरा केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, बेंगलूरु	मज़दूरों ने कॉफ़ी बोर्ड के समूह र्घ“ कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतनमान के समान केंद्रीय मज़दूरी के भुगतान के लिए अनुरोध किया है। बोर्ड ने आपत्ति विवरण फ़ाइल किया है। बोर्ड की साक्ष्य प्रस्तुति पूरी हुई है। वाद-प्रतिवाद व निपटान के लिए लंबित है।
3	आई टी ए सं. 123/15 आयकर अधिकारी, बेंगलूरु आयकर अपीलीय आयुक्त, बेंगलूरु	वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा टीडीएस एवं ब्याज की माँग पर, अनुलाभ के तहत ₹1,89,672/- की राशि पर बोर्ड ने आक्षेप उठाया है। अपील ज़ापन फ़ाइल किया गया है। दि.04.12.2018 को सुनवाई हुई है तथा आगे की सुनवाई लंबित है।
4	रिट याचिका सं. 55518/2015 डी एस पी, आयुध व स्वापक प्रभाग और स्टेट बैंक ऑफ मैसूरु केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, बेंगलूरु	बीडीए को देय ₹2.72 करोड़ (₹1.04 करोड़ + ₹1.68 ब्याज) की राशि पर रोक लगाने हेतु डीएसपी द्वारा दिनांक 31.10.2015 को बैंक में दिए गए पत्र के प्रति बोर्ड ने आक्षेप उठाया। दि. 18.12.2015 को स्थगन आदेश प्रदान किया। प्रतिवादी ने आपत्ति फ़ाइल नहीं की है। सूचना जारी करने हेतु 18.12.2015 को अंतिम सुनवाई हुई थी। आगे की सुनवाई लंबित है।
5	एसटी/ सीओडी/ 20060/2016 सेवा कर आयुक्त, सेवा कर न्यायाधिकरण	वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के किराए से प्राप्त आय के लिए ₹86,59,746/- के सेवा करारोपण की पुष्टि से संबंधित दि. 08.05.2015 के आदेश के प्रति कॉफ़ी बोर्ड ने आक्षेप उठाया। दावे का 7.5%, ₹6,49,481/- की दर पर भुगतान किया गया है। अपील स्वीकार की गई। आगे की सुनवाई लंबित है।
6	ओ. एस. सं. 4959/2016 श्रीमती अस्मत्तुन्नीसा व अन्य सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूरु	मिल्लर्स रोड एवं कॉफ़ी कोर्ट को संपर्क करने वाले वादी के भवन में स्थित अनुसूची बी संपत्ति में प्रतिवादी और उनके एजेंट्स के चौपहिया/दुपहिया के पार्किंग को स्थाई रूप से रोकने के लिए स्थाई इंजंक्शन के रूप में निर्णय एवं डिक्री पारित करने और जैसे उपयुक्त समझे अनुसार राहत देने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। मामले पर 17.1.2017 को सुनवाई हुई है। बोर्ड के साक्ष्य की प्रतीक्षा है। आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

7	ओ. एस. सं. 1578/2017 श्रीसंदीप दास, शारदा सुब्रमणियन एवं अन्य 8 तथा प्रतिवादी-9 के रूप में कॉफी बोर्ड, सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूरु	प्रतिवादी को ₹254.27 करोड़ के भुगतान हेतु निदेश देने की प्रार्थना की गई है। लेकिन बोर्ड द्वारा कोई माँग नहीं की गई है। जून 2018 के दौरान आपत्ति फ़ाइल की गई है। बोर्ड के साक्ष्य रिकार्ड करने हेतु लंबित है।
8	रिट याचिका सं. 43798/ 2016 बी.बी.एम.पी आयुक्त व अन्य 2, कर्नाटक उच्च न्यायालय	बी.बी.एम.पी निर्माण में उल्लंघन होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार, बोर्ड के क्वार्टर्स के समीपस्थ भवन के मालिक के विरुद्ध कार्रवाई जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी द्वारा आक्षेप फ़ाइल की जानी है। दि. 15.02.2017 को सुनवाई हुई है। मामला सुनवाई हेतु लंबित है।
9	एपीसं. 58/17-18 & एसटीए. सं. 395/2017 कर्नाटक सरकार कर विभाग कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण	वर्ष 2012-13 के लिए ₹8,33,070/- के कर (वैट), ₹6,95,251/- के दंड, ₹83,307/- के ब्याज को समेकित कर ₹16,11,628/- की माँग पर आक्षेप उठाया गया। दि.06.7.2017 को स्थगन जारी किया गया है, माँग की 30% अर्थात ₹4,83,488/- का भुगतान किया। बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के आदेश के विरुद्ध के.ए.टी के समक्ष अपील फ़ाइल की गई है- स्थगन आदेश की अनुमति दी गई है- आगे की सुनवाई के लिए लंबित किया गया है।
10	रिट याचिका सं. 17126-17127/2013 सर्वश्री बी. पी. यज्ञेश्वर व पूर्विका कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने दावा की है कि प्रतिवादी एसबीएम बैंक, मुडिगेरे ने उनके द्वारा ली गई उधार सुविधा के लिए अधिक दर का ब्याज वसूल किया है। बैंक ने ब्याज के रूप में ₹13,00,000/- के स्थान पर ₹26,10,542/- के भुगतान की माँग की है। सूचना के स्थगन से संबंधित अंतरिम आदेश पारित किया गया है। कॉफी बोर्ड एवं यू ओ आई द्वारा आपत्ति फ़ाइल की गई है। दि.16.04.2019 को आंशिक सुनवाई हुई है। मामला आगे की सुनवाई हेतु लंबित किया गया है।
11	मेसर्स कॉफी बोर्ड श्री के. एम. जयकुमार व अन्य द्वारा फ़ाइल किया गया रिट याचिका सं. 16443-16480/ 2015 कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ताओं ने मेसर्स कोडगु जिला सहकारी बैंक, मडिकेरी से गृह निर्माण ऋण लिया था तथा यह प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को कॉफी ऋण राहत पैकेज, 2010 के अधीन लाभ प्रदान करने हेतु न्यायालय निदेश दिया जाए। आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। दि. 15.02.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई है। आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।
12	रिट याचिका सं. 15148/ 2017 मेसर्स फ़ोर्च्यून एग्रो इंपेक्स, बेंगलूरु कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	संस्था को काली-सूची में डालने के लिए 06.10.2016 का आदेश निरस्त करते हुए व नकदीकृत बैंक गारंटी की वापसी के निदेश देने की प्रार्थना की है। आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। दि.19.02.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई है। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

13	रिट याचिका सं. 14331/ 2018 पी. एन. पूवय्या	सीडीआरपी मामला सूचना जारी करने हेतु 25.07.2018 को अंतिम सुनवाई हुई है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।
14	रिट याचिका सं. 17061/2018 पी. एम. तिममय्या व अन्य 3 कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	सीडीआरपी मामला दि. 07.02.2019 को अंतिम सुनवाई हुई है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।
15	अपील सं. 99/2018 सी आर एस एस, चेदुल्ली, सहायक भ.नि आयुक्त, मैसूरु	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के फसल कटाई प्रोत्साहन से संबद्ध भ. नि बकाया व बीमा राशि के रूप में ₹22,516/-की मांग संबंधी दि. 21.06.2018 को जारी आदेश पर आक्षेप उठाया गया। माँग के स्थगन हेतु 10.04.2019 को अंतरिम आदेश प्राप्त किया गया है। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।
16	रिट याचिका सं. 9159/2019 डी.टी. राजू व अन्य	सीडीआरपी मामला सूचना जारी करने हेतु 04.04.2019 को अंतिम सुनवाई हुई है।

तमिल नाडु

17	रिट याचिका सं. 10730/2007 उप निदेशक (अनु.), तांडीगुड़ी दिनांक 6.12.2006 को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण- श्रम न्यायालय, चेन्नई द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध श्रीमती एच. जानकी, सेवानिवृत्त दैनिक मजदूर	श्रीमती एच. जानकी ने तांडीगुड़ी में दि.10.07.72 को मजदूर के रूप में कार्य ग्रहण किया था।उनको 31.12.2002 को अधिवर्षिता प्राप्त हुई। उन्होंने यह दावा की है कि उनकी अधिवर्षिता फरवरी 2014 को ही है। उन्हें बोर्ड की सेवा से अवधि पूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है। उन्होंने बकाया वेतन बहाली के लिए श्रम न्यायालय, चेन्नई के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। श्रम न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया। बोर्ड ने चेन्नई उच्च न्यायालय में इस आदेश पर आक्षेप उठायाथा। उच्च न्यायालय ने 19.3.2008 के अपने आदेश द्वारा बोर्ड को याचिका के निपटान तक उन्हें ₹1600/- का मासिक वेतन के भुगतान का आदेश दिया। अब वह सेवानिवृत्त हो गई हैं तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मामले के निपटान के लिए वकील को अनुस्मारक भेजा गया है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए बोर्ड ने वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया। इस मामले को मध्यस्थता परिषद को प्रेषित किया गया था। बोर्ड ने पूर्ण व अंतिम निपटान के रूप में ₹76,426/- के भुगतान का प्रस्ताव रखा, लेकिन वादी ने स्वीकार नहीं किया। मामला निपटान के लिए लंबित है।
18	सीएमपी. सं. 58/2018 बसहा.सचिव (से.अ) ओएस सं. 2136/2015 में सं. 64599/2018 एक्सप्रेस प्रकाशन प्रधान सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई	डिक्री की तिथि 01.03.2017 तक 24% ब्याज के साथ ₹5,38,735/- के भुगतान तथा उसके बाद 6% का भुगतान के निदेश पर आक्षेप उठाया गया। आवेदन के स्थगन के लिए बोर्ड ने अपील फ़ाइल की है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

केरल		
19	आई डी सं. 5/2015 मलबार एस्टेट वर्क्स यूनियन (आईएनटीयूसी) व अन्य क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन, चुंडेल केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि मज़दूरी एवं सेवा संबंधी मामलों में केंद्रीय व राज्य सरकार के दोनों पैटर्नों का अनुपालन करते हुए सीआरएस स्टाफ व बागान कार्मिकों के बीच अलग तरह से व्यवहार करने वाले आरसीआरएस, चुंडेल के प्रबंधन का विवाद स्थगित करने हेतु आदेश पारित करें तथा इस विवाद में पड़े 38 बागान मज़दूरों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया फ़ाइल की गई। मध्यस्थता को मामला संदर्भित किया गया है तथा न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए लंबित है।
20	एसटीआर सं. 44,46,47, 48, 49, 50,51, 52 तथा53/2016 केरल राज्य	बोर्ड ने कर-निर्धारण वर्ष 1984/85 से 1990/91 व 1994/95 के लिए उठाई गई सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) माँग पर आक्षेप उठाते हुए एसटीएटी (बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण) के समक्ष अपीलें फ़ाइल की थी। दिनांक 20.5.2016 के आदेश द्वारा कर-निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलों का निपटान किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन याचिकाएँ फ़ाइल कीं। उनकी कुल माँग ₹43.80 करोड़ तक बढ़ गई है। सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) व ₹171.97 करोड़ के ब्याज समेकित कर कुल ₹215.77 करोड़ राशि हो गई है। बोर्ड की ओर से वकील उपस्थित हुए। दिनांक 01.03.2018 को अंतिम सुनवाई हुई। मामला आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।
21	रिट याचिका सं. 38322/2015 श्री के. सदानंदन केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि माननीय उच्च न्यायालय प्रतिवादी 8 को ए.एस.आई. डी.ई स्कीम के अधीन मंजूर किया गया अनुदान रद्द करने हेतु प्रतिवादी 1 से 4 को आवश्यक निदेश दें तथा प्रति वर्ष 18% की दर पर ब्याज के साथ प्रतिवादी 8 को वितरित राशि की वसूली की जाएँ। मामले पर प्रति-घोषणापत्र फ़ाइल किया गया है। 09.11.2016 को अंतिम सुनवाई हुई है। मामला आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।
22	आर. पी. सं. /2017 श्री जोस व श्री रॉय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली	शिकायत स्वीकार करते हुए बोर्ड की अपील तिरस्कृत करने के बाद दि.30.11.2016 के राज्य आयोग के आदेश (सामान्य आदेश) पर आक्षेप उठाते हुए अपील फ़ाइल की है। उसके आगे, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील फ़ाइल की है। मामले पर अंतरिम स्थगन प्राप्त हुआ है तथा सुनवाई के लिए लंबित है।
23	राज्य आयोग के समक्ष अपील सं. 7/2015; राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आर.पी.सं. 3438 /2018 श्री के. एम. जोसफ राज्य उपभोक्ता फोरम, तिरुवनंतपुरम	सीडीआरपी मामला - जिला फोरम के आदेश पर आक्षेप उठाया। अपील के तिरस्कार के बाद, श्री के. एम. जोसफ ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष संशोधन याचिका फ़ाइल की। बोर्ड की ओर से सुश्री सोरज बिदावत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं। यह 21.06.2018 को तिरस्कृत हुआ है। संशोधन याचिका राष्ट्रीय आयोग के समक्ष निपटान के लिए लंबित है। 09.05.2019 को स्वीकारने के लिए लंबित किया गया।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

24 सीसी सं. 86/18 व अन्य 11 सीसी सं. 05/18 व अन्य 2 टी.डी. मंजेगौड़ा व अन्य उप निदेशक (वि), चिक्कमगलूर सहित उप प्रबंधक, कृषीय बीमा, बेंगलूर व अन्य 4 जिला उपभोक्ता न्यायालय, चिक्कमगलूर	वर्षापात बीमा के अधीन ₹25,000/- क्षतिपूर्ति एवं 18% ब्याज के साथ ₹28,000/- की माँग। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।
--	--

वित्त निदेशक



31.03.2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित

काँफ़ी बोर्ड पूल निधि

का वित्तीय विवरण



पूल निधि लेखा विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	57
2	आय एवं व्यय लेखा	58
3	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ	59 - 61
4	आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियाँ	62
5	समेकित प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	63
6	मीयादी जमाओं का विवरण	64
7	लेखांकन नीतियाँ	65
8	आनुषंगिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	66 - 68

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलतः अंग्रेज़ी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इस प्रतिवेदन में कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेज़ी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31.03.2022 को यथास्थिति तुलनपत्र

(₹ में)

I कार्पस/पूँजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची सं.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1 कार्पस/पूँजीगत निधि	1	153503440	149079860
2 आरक्षित एवं अधिशेष	2		
3 चिह्नित/अक्षय निधि	3		
4 सुरक्षित ऋण एवं उधार	4		
5 असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		
6 आस्थगित ऋण देयताएं	6		
7 चालू देयताएं व प्रावधान	7	31901	473596
योग		153535341	149553456
II परिसंपत्तियाँ			
1 अचल परिसंपत्तियाँ	8	11413343	11653956
2 चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश	9		
3 अन्य निवेश	10		
4 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	142121998	133537419
5 विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)			
योग		153535341	145191375
III सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
IV आकस्मिक देयताएं व लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड, बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(₹ में)

I आय	अनुसूची सं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1 बिक्री/सेवाओं से आय	12		
2 अनुदान/उपदान (भारत सरकार से)	13		
3 शुल्क/अभिदान	14		
4 निवेशों से आय (चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश पर प्राप्त आय को निधियों में अंतरित किया गया)	15		
5 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
6 अर्जित ब्याज	17	4232871	4543048
7 अन्य आय	18	431970	358315
8 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) तथा प्रगतिशील कार्य	19		
योग (क)		4664841	4901363
II व्यय			
1 स्थापना व्यय	20		
2 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	649	539282
3 अनुदान, उपदान आदि पर व्यय	22		
4 ब्याज	23		
5 मूल्यहास- (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल योग)		240613	240613
योग (ख)		241262	779895
III व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		4423580	4121468
कार्पस निधि को अग्रानीत अतिरिक्त शेष		4423580	4121468
IV सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
V आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 1 : कॉर्पस/पूँजीगत निधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष 01.04.2021 के प्रारंभ में शेष राशि	149079860	144964156
जोड़ें: कॉर्पस/पूँजीगत निधि के लिए अंशदान		
जोड़ें: आय व व्यय लेखा से अंतरित निवल आय के शेष	4423580	4115704
वर्षांत में शेष राशि	153503440	149079860
अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अधिशेष	शून्य	शून्य
अनुसूची 3 : चिह्नित/अक्षय निधि	शून्य	शून्य
अनुसूची 4 : सुरक्षित ऋण एवं उधार	शून्य	शून्य
अनुसूची 5 : असुरक्षित ऋण एवं उधार	शून्य	शून्य
अनुसूची 6 : आस्थगित जमा देयताएं	शून्य	शून्य
पूँजीगत उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा प्राप्त की गई स्वीकृतियाँ		
अनुसूची 7 : चालू देयताएँ		
विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ख) अन्य चालू देयताएँ	4399	4399
ग) सुरक्षा - पहरा व निगरानी (देय)		441695
घ) प्रतिभूति जमा	27502	27502
योग	31901	473596

उप सचिव (लेखा)



काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूची

अनुसूची सं.8 : अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में यथास्थिति मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के अंत में यथास्थिति मूल्य/ मूल्यांकन	01.04.2020 के आरंभ में यथास्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	दि 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति को यथास्थिति (31.03.2022)	पिछले वर्ष की समाप्ति को यथास्थिति (31.03.2021)
			I अर्ध वर्ष	II अर्ध वर्ष							
1	भवन	14501217			14501217	2941430	231196		3172626	11328591	11559787
2	फर्नीचर व फिक्स्चर्स	101408			101408	72766	2864		75630	25778	28642
3	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपस्कर	232012			232012	166485	6553		173038	58974	65527
	योग	14834637			14834637	3180681	240613		3421294	11413343	11653956

उप सचिव (लेखा)



कॉफ़ी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा

31.03.2022 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग की अनुसूची

(₹ में)

अनुसूची 9: चिह्नित/ अक्षय निधि से निवेश आरक्षित एवं अधिशेष	शून्य	शून्य
अनुसूची 10: निवेश - अन्य	शून्य	शून्य
अनुसूची 11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियाँ		
1. वस्तु सूची:		
2. विविध देनदार:		
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खाते पर	388586	984100
सावधि जमा खाते पर	82500000	72500000
योग (क)	82888586	73484100
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. ऋण		
2. नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य मूल्य हेतु वसूलीय अग्रिम एवं अन्य रकम		
क) फ्लेक्सी जमा पर टी डी एस (बैंक द्वारा प्रत्यावर्तित)		
ख) आर सी डब्ल्यू, मेडुपालयम		
ग) कोडगु कॉफ़ी उपजकर्ता सहकारी समिति, मडिकेरी	55729725	55729725
घ) मुकदमा पर लागत (कोडगु कॉफ़ी उपजकर्ता सहकारी समिति, मडिकेरी)	655430	655430
3. उपचित आय (जमा पर ब्याज)	2731378	3640098
4. दावे - प्राप्य राशियाँ		
क. लाइसेन्स शुल्क (प्राप्य)	116879	28066
ख. गैर-योजना से प्राप्य		
ग. स्कंदा से प्राप्य राशि		
योग (ख)	59233412	60053319
योग (क + ख)	142121998	133537419

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय का भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12: बिक्री/सेवाओं से आय	शून्य	शून्य
अनुसूची 13: अनुदान / सब्सिडी	शून्य	शून्य
अनुसूची 14: शुल्क/ अभिदान	शून्य	शून्य
अनुसूची 15: निवेश से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय, निधियों को अंतरित)	शून्य	शून्य
अनुसूची 16: रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	शून्य	शून्य
अनुसूची 17: अर्जित ब्याज		
1 मीयादी जमा पर		
अनुसूचित बंकों में - जमा	4232871	4543048
2 बचत खाते पर		
3 ऋणों पर		
4 देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		
योग	4232871	4543048
अनुसूची 18: अन्य आय		
1 लाइसेन्स शुल्क	431970	358315
2 विविध प्राप्तियाँ		
योग	431970	358315
अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) तथा प्रगतिशील कार्य	शून्य	शून्य
अनुसूची 20: स्थापना व्यय	शून्य	शून्य
अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
1 संपत्ति कर		79953
2 बक प्रभार	649	649
3 सुरक्षा पहरा व निगरानी		458680
योग	649	539282
अनुसूची 22: अनुदान / सब्सिडियों पर व्यय	शून्य	शून्य
अनुसूची 23: ब्याज	शून्य	शून्य

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
क) हस्तगत रोकड़			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		980977.00
i) चालू खाते में	184366	984099.57	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किए गए अदायगियाँ		
ii) जमा खाते में	78000000.00	72500000.00	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों का विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम का उल्लेखित करें)		
iii) फ्लेक्सी जमा			III. किए गए निवेश एवं जमा		
II. प्राप्त अनुदान			क) चिह्नित/अक्षय निधियों से		
क) भारत सरकार से			ख) निजी निधियों से (निवेश-अन्य)		
ख) राज्य सरकार से			IV. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		
(पूँजी व राजस्व अनुदान - व्यय को अलग से दिखाएँ)			ख) प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय		
III. निवेशों से आय			V. अधिशेष धन/ ऋण का प्रतिदाय		
क) चिह्नित/अक्षय निधियों से			क) भारत सरकार को		
ख) निजी निधियों से (अन्य निवेशों से)			ख) राज्य सरकार को		
IV. प्राप्त ब्याज			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
क) बैंक जमा पर	4360236.00	5324403.00	VII. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)		
ख) फ्लेक्सी जमा पर ब्याज			क) तमिल नाडु को क्रय कर का भुगतान		
V. अन्य आय (उल्लेखित करें)			ख) अन्य भुगतान - टीडीएस		10186.00
क) अन्य आय / लाइसेंस शुल्क	344633.00	356840.00	ख) विविध भुगतान	649.00	20000.00
ख) विविध प्राप्तियाँ			ग) निधि का अंतरण- योजना		
VI उधार ली गई राशि			घ) मीयादी जमा		
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (विवरण दें)			ड) गैर-योजना को देय		
क) सावधि जमा खाता (परिपक्वता)			VIII. अंत शेष		
ख) निधि का अंतरण-योजना/ गैर-योजना			क) हस्तगत रोकड़		
ग) अन्य टीडीएस		10186.00	ख) बैंक शेष		
विविध प्राप्तियाँ		20000.00	i) चालू खाते में	388586	184366
घ) गैर-योजना से प्राप्त			ii) जमा खाते में	82500000.00	78000000.00
ड) स्कंदा से प्राप्त			iii) बचत खाते में		
योग	82889235.00	79195528.57	योग	82889235.00	79195528.57

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए मीयादी जमाओं का विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31-03.2021 को उपचित ब्याज
1.	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	12.08.2021 से 18.08.2022 तक	5.15%	16500000	552955
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	13.08.2021 से 13.08.2022 तक	5.15%	16500000	550578
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	14.08.2021 से 14.08.2022 तक	5.15%	16500000	548190
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	17.08.2021 से 17.08.2022 तक	5.15%	16500000	541022
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	18.08.2021 से 18.08.2022 तक	5.15%	16500000	538633
	महा योग			82500000	2731378

उप सचिव (लेखा)



अनुसूची 24 - लेखांकन नीतियाँ

1. कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के अनुसार, कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वयत्त निकाय के रूप में कार्यरत है। कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अनुसार पूल निधि का सृजन किया गया था। वर्ष 1991-94 के दौरान उपजकर्ताओं को 100% एफ.एस.क्यू (मुक्ता विक्रय कोटा) के कार्यान्वयन से बोर्ड के विपणन कार्यकलाप समाप्त हो गया। अंतिम पूलिंग सीजन 1994-95 के दौरान अंतिम पूल भुगतान किया गया था। यद्यपि 100% एफ.एस.क्यू दिया गया था फिर भी कॉफ़ी का पूलिंग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कॉफ़ी अधिनियम का संशोधन नहीं किया गया है, अतः पूल निधि लेखा अलग से आहरित की जाती है।
2. भारत सरकार की सामान्य लेखा प्रारूप समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपचित आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
3. भारत सरकार के विशेषज्ञों की समिति द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप पर रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लेखा की सभी अनुसूचियों में अलग-अलग मदों को पुनः समूहित किए गए हैं।
4. अधिग्रहण अथवा निर्माण के लागत से संचयित मूल्याह्रास घटाकर अचल परिसंपत्तियों की गणना की जाती है।
5. परिसंपत्तियों को निम्नलिखित दरों पर मूल्यहासित किया गया है क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (29) के अधीन आयकर क्षेत्र से पूर्णतः छूट प्राप्त हुई है तथा बोर्ड पर किसी भी कर निर्धारण का दायित्व नहीं है।

परिसंपत्तियों की प्रकृति	मूल्यहास की दर
क) भवन	2% प्रति वर्ष - सीधे रेखा पद्धति
ख) फर्निचर व फ़िक्स्चर्स, कार्यालय उपस्कर तथा वाहन	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति

वित्त निदेशक



अनुसूची 25 - आनुषंगिक देयताओं के साथ लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. क्रय कर/ विक्रय कर हेतु प्रावधान :

- क) माननीय केरल उच्च न्यायालय ने बोर्ड के कुल ₹44.81 करोड़ (क्रय कर के लिए ₹2.16 करोड़ + केंद्रीय विक्रय कर के लिए ₹42.65 करोड़) के दावे को नियमानुसार सत्यापन करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया और इसके समाधान के लिए प्रयास जारी हैं। बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। माँग पर विवाद होने के कारण वह मामला न्यायाधीन है, इसलिए लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है। जबकि मामला न्यायाधीन है, केरल सरकार के वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों ने सहायक सचिव, इंडिया कॉफी हाउस, गुरुवायूर, केरल द्वारा संचालित की जाने वाली बँक खाता सं 57019411408 को जब्त की तथा 18.03.2015 को उनके द्वारा ₹4,47,913.00 की रकम आहरित की गई।
- ख) तमिलनाडु के संबंध में, भुगतान के लिए कोई भी माँग लंबित नहीं है। तथापि, देयों के निपटान के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग, तमिल नाडु से औपचारिक पुष्टि आदेश अपेक्षित है।
- ग) बोर्ड द्वारा मेसर्स कोडगू कॉफी ग्रोअर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी, मडिकेरी के विरुद्ध ₹1,55,28,034.00 के स्टॉक के मूल्य, ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए फ़ाइल की गई सिविल मुकदमा का निर्णय दि.12.09.2014 को कॉफी बोर्ड के पक्ष में सुनाया गया। अभिकर्ता ने ब्याज सहित न्यायालय लागत ₹5.64 करोड़ की राशि को अधित्याग करने के अनुरोध करते हुए दिनांक 22.12.2015 को स्टॉक के मूल्य का भुगतान किया। बोर्ड ने इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय को सलाह के लिए भेजा है। हालाँकि, लेखा परीक्षा की सलाह के अनुसार, इस राशि को वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों के तहत रखी गई है। मंत्रालय से किसी भी प्रकार के निदेश प्राप्त न होने पर इस रकम को प्राप्तियों के अंतर्गत दिखाई जा रही है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

न्यायालय में लंबित व न्यायाधीन मामलों की सूची :

मुकदमेबाजी से संबंधित निम्नलिखित न्यायालयीन मामले, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक, बेंगलूरु/ सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूरु में लंबित हैं। ये मामले पूलित कॉफी के पूल एजेंट्स से संबंधित हैं जो 1994-95 से पूर्व पूल एजेंट द्वारा वापस नहीं किया गया है। ऐसे मामलों की सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	रकम	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति	अभ्युक्तियाँ
1.	मेसर्स. रहमानिया कॉफी वर्क्स, मेट्टुपालयम - ओ.एस. नं. 5298/91	₹1,48,18,252.00	प्रतिवादी को मुकदमा मूल्य के भुगतान का निदेश देते हुए बोर्ड के पक्ष में मुकदमा निर्णय (02.01.2013) हुआ था। देय ब्याज सम्मिलित करने में न्यायालय असमर्थ होने के कारण बोर्ड ने सिटी सिविल न्यायालय में अर्जी फ़ाइल की। उसी समय, प्रतिवादी ने डिक्री पर अपील करते हुए कर्नाटक के उच्च न्यायालय में आरएफ़ भी फ़ाइल किया है। मामले आगे की सुनवाई एवं निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है
2.	मेसर्स कॉफी क्यूरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, (कोप्पा) लि. मुकदमा सं. 6151/1998	₹19,08,000/- ब्याज के साथ	मेसर्स कॉफी क्यूरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, (कोप्पा) लि. के विरुद्ध मूल मुकदमा फ़ाइल की गई थी। मुकदमा सं. 6151/1998 (वर्तमान में मेसर्स स्कंदा रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) कॉफी बोर्ड के पक्ष में डिक्री हो गया था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान डिक्री के अनुसार कॉफी बोर्ड को ब्याज सहित देय निपटारा हो गया था।	लंबित है
	मेसर्स न्यू इंडिया अश्यूरेंस, बॉम्बे एवं बेंगलूरु		हालांकि, द्वितीय व तृतीय प्रतिवादी मेसर्स न्यू इंडिया अश्यूरेंस, क्रमशः बॉम्बे व बेंगलूरु, पूल एजेंट के लिए गारंटर होने के नाते, ₹19,08,000.00 की राशि का भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष आरएफ़ सं. 1427/17 में अपील दायर की है। यह मामला सुनवाई / निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है

- क) मेसर्स तंगम कॉफी क्यूरिंग वर्क्स के मुकदमा बोर्ड के विरुद्ध निपटारा किया गया है। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दायर करने पर विचार किया जा रहा है। (₹50,60,306.00)
- ख) कॉफी बोर्ड ने वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 के लिए किराए के रूप में प्राप्त आय पर ₹86,59,746/- के सेवा करारोपण पर सेवा कर न्यायाधिकरण में दिनांक 08.05.2015 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है। बोर्ड ने 'रसपका विकास' स्कीम का चयन करते हुए सेवा-कर ₹31,64,037/- को निपटान किया गया है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2021-22

सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए संगठनों से निम्नलिखित राशि प्राप्य है:

1. केएनएनएल	= ₹ 25,30,571.00
2. महालेखाकार लेखापरीक्षा	= ₹ 16,62,106.00
3. आईसीटीए	= ₹ 53,594.00
4. भारती इंफ्राटेल लिमिटेड	= ₹ 50,983.00
5. सीबीईसीएचएस	= ₹ 12,818.00
6. सीबीईसीएस	= ₹ 12,012.00
7. अन्य	= ₹ 7,880.00
कुल	= ₹ 43,29,873.00

ग) वर्ष 2014-15 के लिए अनुलाभ के मूल्य पर आयकर : सीआईटी, अपील, बेंगलूरु के दिनांक 29.03.2019 के आदेशानुसार बोर्ड को ₹.1,86,406.00 रुपए का प्रतिदाय प्राप्त होना है।

वित्त निदेशक